हस्तक्षेप

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक!

जगदीश एन सिंह

अनुवादक
ज्ञानेन्द्र पांडेय

भारत नीति प्रतिष्ठान

Ethnic & Religious Minorities in Pakistan

Ethnic Minorities : Sindhis (14.1%), Pathans or Pakhtuns (15.42%, 2006 census of Afghan in Pakistan), Mohajirs (7.57%), Baluchis (3.57%).
Religious Minorities : include Christians (1.59%), Ahmaddiyas (0.22%), Hindus (1.6%), Shi'as, Isma'silis, Bohras and Paris.

Source : Minority Rights Group International (September 2010)

हस्तक्षेप

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक!

लेखक

जगदीश एन सिंह

वरिष्ठ पत्रकार एवं शोधार्थी

अनुवादक

ज्ञानेन्द्र पांडेय

INDIA POLICY FOUNDATION

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो–प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
डी–51, हौजखास
नई दिल्ली 110016 (भारत)
दूरभाष : 011-26524018
फैक्स : 011-46089365
ई–मेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

संस्करण : प्रथम, 2013

© **भारत नीति प्रतिष्ठान**

मूल्य : 80 रुपये मात्र

आवरण सज्जा : गायत्री दीक्षित

मुद्रक : I'M Advertisers

9 788192 522319

Thoughts on Predicament of Minorities in Pakistan

"Our temples are being vandalized and women being raped. Atrocities against us are increasing day-by-day. We won't get permanent jobs unless we convert to Islam. In Pakistan, we are subject to persecution and have to live our daily lives in fear."[1]

Sroop Chand Malhi, Hindu resident of Umerkot, Sindh

"I just want my remaining children to grow up in peace, learn and live happily in Pakistan as Pakistanis."[2]

Mukhtar Masih, Christian resident of Gojra, Punjab

"The Islamists want to radicalize Pakistani society and they cannot stand what they consider to be a "bad Muslim." These Islamic fundamentalists don't care if the Christians and other religious minorities are condemned ;...They are determined to make them embrace radical Islam."[3]

Anne-Isabelle Tollet, Senior French Journalist and Author

"You can only know that non-Muslims also exist in Pakistan if you come into direct contact with one, not otherwise." [4]

The Express Tribune of Pakistan.

Sources: 1 & 2 from "A Question of Faith: A Report on the Status of Religious Minorities in Pakistan", *A Jinnah Institute Research Report* (2011).
(http://www.humansecuritygateway.com/documents/JI_AQuestionofFaith.pdf)

3 is from a story "Author shares a day in the life of imprisoned Pakistani mother" on Anne-Isabelle Tollet of Mar 14, 2012 appeared in catholicnewsagency.com (http://www.catholicnewsagency.com/news/author-shares-a-day-in-the-life-of-imprisoned-pakistani-mother/) accessed on January 25, 2013.

4. http://blogs.tribune.com.pk/story/6982/pakistan-a-place-where-non-muslims-also-live/

विषय सूची

सारांश		05
भूमिका		06
अध्याय–एक	मानवता के साथ विश्वासघात	08
अध्याय–दो	कट्टरपंथी ताकतों के सम्मुख सरकारी समर्पण	19
अध्याय–तीन	प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रतिक्रिया निष्क्रिय	26
अध्याय–चार	लोकतांत्रिक सरकारों की घातक नीति	31
अध्याय–पांच	पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति को रोकने के संदर्भ में सार–टिप्पणी	38
निष्कर्ष		47
संदर्भ		48
परिशिष्ट – I	पाकिस्तान की जनगणना	50
परिशिष्ट – II	पाकिस्तान के ईश निंदा कानून जस के तस	51
परिशिष्ट – III	पाकिस्तान दंड संहिता (1860 का कानून XLV)	55

सारांश

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक!

आज के आधुनिक आदर्श राज्य के लिए सबसे बड़ी और अनिवार्य जरूरत यह होनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों का बहुआयामी विकास करे, कुछ राज्य (देश) आज भी इसकी चिंता करते हैं कि उनके नागरिकों को विकास की बहुआयामी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं और ये राज्य इसके लिए प्रयास भी करते हैं। इस संबंध में पाकिस्तान को लेकर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। जब से एम.ए. जिन्ना ने अपने पुरातन और मिश्रित संस्कृतियों वाले धर्मनिरपेक्ष देश भारत से अलग कर इस राष्ट्र की बुनियाद रखी, तभी से इस राज्य में स्वयंभू इस्लामिक कट्टरवादियों का वर्चस्व बढ़ता रहा है। इस्लाम के वहाबी–देवबंदी कट्टरपंथ स्वरूप के आधार पर देश को सामंतवाद की ओर धकेलने पर तुले ये कट्टरपंथी लोग और ऐसी ताकतें देश में बढ़ती ही जा रही हैं और इनकी पुरजोर कोशिश यही रही है कि देश में ऐसी नीतियां बने जिससे वहां रहने वाले दूसरे धर्मों और पंथों का अनुसरण करने वालों का जीवन और मूल्य नारकीय बन जाए। इस प्रक्रिया में वहां के नागरिकों खास कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन दिन–प्रतिदिन अधिक दुःखदायी होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में तो हालात बद से बदतर हुए हैं। इस संदर्भ में यह सही समय है जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समझदार समूह खास कर भारत और अमेरिका जैसे राष्ट्रों को आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना चाहिए और इस दुर्गति का अंत करने के उपाय खोजने चाहिए।

भूमिका

दार्शनिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, राजनेता और दूसरे सभी विचारक एक मत से यह परिभाषित कर चुके हैं कि आधुनिक राज्य जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, रंग और लिंग जैसी कृत्रिम बाधाओं से ऊपर उठकर अपने सभी नागरिकों के बहुआयामी विकास को अपनी प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध होता है। पर ईमानदारी से देखें तो मौजूदा संदर्भ में दुनिया के कुछ राज्य अपने इस दायित्व का निर्वाह करते दिखाई देते हैं।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के परिदृश्य में ज्यादातर नवस्वतंत्र राज्यों ने अपने विशेषाधिकारों के साथ वैश्विक स्तर पर मान्य एक समान संप्रभुता का दर्जा भी हासिल किया है। पर दु:ख की बात है कि ये सभी देश अपने नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण करने के अपने दायित्व में बुरी तरह असफल रहे हैं।

इस बारे में पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका है। पाकिस्तान के संस्थापक एम.ए. जिन्ना, एक समय के अपने मिश्रित संस्कृतियों से भरपूर, धर्मनिरपेक्ष, प्राचीन और अविभाजित देश भारत से अलग कर एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण करने के अपने प्रयास में जब सफल हुए, तभी से पाकिस्तान का शासक वर्ग जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, रंग और लिंग की संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर पाकिस्तान के सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास करने संबंधी अपने दायित्वों से विमुख ही रहा है। इसी के चलते शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान के शासक ऐसी नीतियों के निर्माण और उनको लागू करने में संलग्न रहे, जो वहां के गैर सुन्नी धार्मिक अल्पसंख्यकों के विकास में बाधा बनी रहीं। पाकिस्तान का कोई भी अल्पसंख्यक तबका इस लिहाज से अपवाद नहीं है, पर हिन्दू अल्पसंख्यकों के मामले में यह स्थिति बद से बदतर ही बनी हुई है। पर भारत के धर्मनिरपेक्ष मीडिया और अनेक लब्ध प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के विचारशील लोग, भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति और संस्थानों ने इस्लामिक देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यक तबकों की दुर्गति को कभी भी अपनी चिंता का विषय नहीं बनाया। इसका असर यह हुआ कि कई दशकों के अंतराल में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ा वहां के बौद्धिक वर्ग का एक बड़ा तबका अपने देश में अल्पसंख्यकों की दुर्गति और भारत जैसे पड़ोसी देश से किसी तरह का नैतिक समर्थन न मिलने खिन्न और क्षुब्ध होकर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा सरीखे यूरोपीय देशों की ओर पलायन कर गया।

पाकिस्तान और विश्व के दूसरे देशों में सक्रिय निष्पक्ष और प्रगतिशील समझे जाने वाले व्यक्तियों और संगठनों ने इस सच्चाई की पुष्टि की है। इन व्यक्तियों और संस्थानों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति को रोकने और इस समस्या का सर्वमान्य समाधान खोजने की दिशा में कुछ ठोस सुझाव भी दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने समस्या के समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों का व्यवहार भी कुछ अलग नहीं दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों ने भी इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि ये लोकतांत्रिक देश दुनिया के दूसरे कई देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के विरोध में हमेशा ही आवाज उठाते देखे गए हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध

विद्वान सेलिग हैरिसन के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति को लेकर विश्व के शीर्ष लोकतांत्रिक देशों का रूख कुछ–कुछ ऐसा है, "जो हो रहा है होने दो.."

'हस्तक्षेप पत्र' शीर्षक से तैयार इस गंभीर अध्ययन के माध्यम से नीति निर्माताओं, राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया घरानों, बौद्धिक मनीषियों और नई दिल्ली समेत देश के प्रभावशाली तबके से यह अपील करने की कोशिश की गई है कि ये सभी लोग और संस्थान पाकिस्तान में वहां की सरकार के परोक्ष और मूक समर्थन से वहां के अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे बर्बर और अमानवीय हमलों के विरोध में आगे आएं और समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने से संकोच न करें।

मैं भारत नीति प्रतिष्ठान के मानद निदेशक प्रो. राकेश सिन्हा का आभारी हूं जिन्होंने मुझको पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दुर्गति का अध्ययन करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले इस अध्ययन को पूरा करने का अवसर प्रदान किया।

इस अवसर पर मैं भा.नी.प्र. की पूरी शोध टीम, विशेष रूप से दीपक स्याल, सौरभ ज्योति शर्मा, गायत्री दीक्षित, शिव कुमार और सुधीर कुमार सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनकी रात–दिन की मेहनत की बदौलत ही यह महती कार्य सुबह की धूप का दर्शन कर सका।

मैं भारत और विदेश में रह रहे अपने उन असंख्य मित्रों का भी आभारी हूं जिन्होंने समय–समय पर इस काम में मेरी सहायता की इस लिहाज से मैं अपनी फ्रांसीसी पत्रकार मित्र एनी ईसाबेल टॉलेट का विशेष आभारी हूं जो इस मौके पर अपना बीज शब्द (की नोट) प्रस्तुत करने के लिए पधार रही हैं। मुझे नई दिल्ली निवासी गुप्तचर विशेषज्ञ आर.एन.पी. सिंह के प्रति भी आभार व्यक्त करना है। जिनके समय–समय पर मिले ठोस और रचनात्मक सुझावों की वजह से इस काम को पूरा करने में बड़ी मदद मिली।

और अंत में, मुझे यह भी कहना है कि इस पूरे प्रयोजन में यदि किसी कारणवश कोई तथ्यात्मक त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए अकेले मैं और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। इसलिए मैं खुले मन से सभी तरह के रचनात्मक सुझावों और आलोचनाओं का स्वागत करता हूं और यह वायदा भी करता हूं कि ऐसे सुझावों को भावी सुधार के लिए अवश्य उपयोग करूंगा।

साभार सहित

जगदीश एन सिंह

26 जनवरी, 2013
नई दिल्ली

अध्याय–एक

मानवता के साथ विश्वासघात

इतिहास अपने आप आगे नहीं बढ़ता। विकास की इस प्रक्रिया में प्रगतिशील ताकतों की हमेशा ही बड़ी भूमिका रही है। अपने लम्बे राजनीतिक सफर में इसकी शुरुआत मैग्नाकार्टा से होती है और वहां से बरास्ता पुनर्जागरण और सुधार का सफर तय करते हुए यूरोप के इतिहास की एक लम्बी कहानी है। इसी कड़ी में अमेरिकी में आजादी की लड़ाई और फ्रांसीसी आंदोलन के साथ ही अफ्रीकी–एशियाई और लातिन अमेरिकी देशों के संघर्ष ने इतिहास के विकास के क्रम में इस सत्य की स्थापना की कि कोई राष्ट्र अपने भू–भाग में निवास करने वाले लोगों के अधिकारों और बुनियादी आजादी का रक्षक होता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने कार्यकाल में जो भी नीतियां बनाई थीं उनका केंद्र बिंदु यही था कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसके कभी अलग न होने वाले अधिकारों और आजादी से लैस किया जाए। उनके उत्तराधिकारी जॉन एडम्स ने एक बार कहा था, "हमारा संविधान केवल नैतिक (और धार्मिक) लोगों के लिए बना है।" अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति थॉमस जैफरसन ने लिखा था, "ईश्वर, जिसने हमें जीवन दिया है, उसी ने हमें आजादी दी है और क्या कभी किसी देश की आजादी सुरक्षित रह सकती है, जब हम उस देश के लोगों के दिमाग में बस गई उनकी ईश्वर प्रदत्त आजादी उनसे छीन लें?इसीलिए किसी भी देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है कि हम उस देश के नागरिकों की आजादी का हनन न होने दें और उसे सुरक्षित रखें।

ऐसे मौलिक सिद्धांतों की स्थापना करके ही अमेरिका ने पूरे विश्व में आजादी और लोकतंत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी वजह से अमेरिका की खास पहचान भी बनी है।

8 जनवरी 1918 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वूडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय नीति के इस सिद्धांत की वकालत भी की थी, जिसमें राजनीतिक विकास की ऐसी व्यवस्था हो जो स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए सभी को समान और बाधा रहित अवसर प्रदान करे। उन्होंने यह भी कहा कि आपसी विश्वास के तहत कुछ देशों को ऐसा एक संगठन भी बनाना चाहिए जो छोटे और बड़े का भेद न करते हुए सभी राष्ट्रों को राजनीतिक स्वतंत्रता और भौगोलिक संप्रभुता की गारंटी दे सके। उनको निश्चित ही ऐसा लगा होगा कि इससे राष्ट्रों की आबादी (नागरिकों) के हितों का विकास होगा। शायद तभी वे ऐसा सोच रहे थे।

विल्सन के आत्म निर्णय के अधिकार के पीछे मूल भावना यही थी कि दुनिया के वंचित अल्पसंख्यक तबके अपने लिए अलग से राष्ट्रों का निर्माण कर सकें ताकि उनको बहु आयामी विकास के साथ राजनीतिक आजादी के अवसर भी मिल सकें। उनकी यह अवधारणा थी कि दुनिया के सभी देश बहुलवादी मूल्यों पर

भरोसा करें, बहुविध जातियों, भाषाओं और धर्मों का सह–अस्तित्व बना रह सके। अमेरिका के एक अन्य राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट ने जब भारत समेत दुनिया के कई संघर्षरत राष्ट्रों को अपना समर्थन दिया था तब उसके पीछे भी उनकी यही अवधारणा थी।

आज भी कुछ राष्ट्र अपने नागरिकों का उसी तरह परवाह करते हैं। जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी जैसे तानाशाह कभी के खत्म हो चुके हैं लेकिन अपने लोगों का शोषण करने और अल्पसंख्यकों की दुर्गति करने के उनके तरीके आज भी जिंदा है। उनके फासीवादी, राजनीतिक उत्तराधिकारी अपनी विवेकहीन और लोक लुभावनी नीतियों के बल पर सत्ता में काबिज हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब में शिया और सभी गैर वहाबी व्यक्तियों और समूहों, तुर्की में शिया और कुर्द और इराक में अजेरी, कुर्द, बलूच, अहवाजी, अरब और लूर के साथ ही ईरान में यहूदी, बहाई और जोराष्ट्रियन सरीखे अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके अलावा इराक, इंडोनेशिया, गाजा पट्टी, मिस्र, सूडान और नाइजीरिया में ईसाई, सीरिया में कुर्द और मोरक्को तथा अल्जीरिया में बरबर/अमेजिंग समुदायों की स्थिति पिछले कई सालों में बद से बदतर हुई है।

पाकिस्तान एक प्रतिनिधि देश

पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने नागरिकों पर बर्बरता करने के मामले में सबसे आगे है। 11 अगस्त 1947 को अपने ऐतिहासिक संबोधन में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने एक आधुनिक, सहिष्णु और प्रगतिशील पाकिस्तान की आधारशिला रखी थी जिसमें हर किसी को एक समान अधिकार देने की बात कही गई थी, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म और लिंग का क्यों न हो। उनके ही शब्दों में, "आप में से हर एक, चाहे उसका अतीत कैसा ही रहा हो, उसका किसी भी धर्म, जाति, समुदाय और नस्ल से संबंध क्यों न रहा हो वह अब इस देश का पहला इसके बाद और अंत तक नागरिक है। उसे सभी अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व दिए जाएंगे....आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए और पाकिस्तान राष्ट्र में अपनी पसंद के किसी भी धार्मिक स्थल में उपासना करने के लिए। आप का संबंध किसी भी धर्म, जाति, नस्ल और समुदाय से हो सकता है, राज्य को इससे कोई लेना–देना नहीं होगा...। अब आपको हमारे सामने यह भरोसा देना होगा कि ये हमारे आदर्श हैं और आने वाले समय में हिन्दू न केवल धर्म के आधार पर हिन्दू होगा, न मुसलमान ही धर्म के आधार पर मुस्लिम। इसके स्थान पर हिन्दू और मुसलमान दोनों राजनीतिक आधार पर इस राज्य का हिस्सा होंगे।"

बाद में जिन्ना के भाषण को आधार बना कर ही उनके उत्तराधिकारियों ने पाकिस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान रखा था। संविधान के अनुच्छेद–20 में राज्य में धार्मिक आजादी की गारंटी सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी है। इस अनुच्छेद में कहा गया है– "हर नागरिक को अपने धर्म की उपासना, अभ्यास और प्रचार करने का पूरा अधिकार होगा और सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक

स्थानों की स्थापना, रख रखाव और प्रबंधन की पूरी आजादी होगी।" संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, "कानून की निगाह में सभी नागरिक एक समान हैं और उन्हें कानून की सुरक्षा एक समान तरीके से करने का हक है। केवल लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।" पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद–36 कहता है, "राज्य अल्पसंख्यकों के कानूनी अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जिसमें संघीय और प्रादेशिक सेवाओं में उनको उचित प्रतिनिधित्व देना भी शामिल होगा।"

अल्पसंख्यकों की भगदड़

पाकिस्तान की हकीकत एकदम अलग और चौंकाने वाली है। पाकिस्तान के संविधान में दूसरे धर्मों के मुकाबले इस्लाम को हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाती रही है। पाकिस्तान में अब तक तीन बार, 1956, 1962 और 1973 में नया संविधान लागू किया गया। पाकिस्तान का मौजूदा संविधान अब तक सबसे अधिक समय जिंदा रहने वाला संविधान है। इसके अनुच्छेद 20, 21, 22, 25 और 36 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और सभी धर्मों की उपासना और तौर–तरीकों को अपनाने की आजादी दी गई है। पर इसी संविधान का अनुच्छेद– 19 कुछ और ही कहता है। इसके मुताबिक, "प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी होगी और प्रेस भी आजाद होगी। शर्त यह है कि यह आजादी तभी तक होगी, जब तक राज्य को ऐसा न लगे कि इस आजादी से इस्लाम और पाकिस्तान राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा है। ऐसा होने पर राज्य आजादी, पर पाबंदी लगा सकता है।" इससे साफ है कि पाकिस्तान में इस्लाम की सुरक्षा सबसे ऊपर है। पाकिस्तान राज्य ने बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को राजनीति से बेदखल करने और कई ऐसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखने की स्वीकृति दी है जिनकी मौजूदगी सवालों के घेरे में है।[1] इस प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, ईसाई, बहाई, बौद्ध, जोराष्ट्रियन, अहमदी, शिया और मोहाजिर अल्पसंख्यकों की बड़े पैमाने पर दुर्गति हुई है।

इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पलायन या धर्म परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि वहां अल्पसंख्यकों की आबादी काफी कम हो गई। पाकिस्तान बनने से पहले वहां के गैर मुस्लिम तबकों की आबादी कुल आबादी का एक चौथाई से अधिक थी। विभाजन के बाद यह आबादी घट कर 14 प्रतिशत हो गई। हालांकि इसमें ज्यादा आबादी पूर्वी बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान) में थी।[2] आज 17 करोड़, 56 लाख और 46 हजार की आबादी वाले पाकिस्तान में 77 प्रतिशत सुन्नी और 20 प्रतिशत शिया हैं जबकि हिन्दू, ईसाई और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक केवल 3 प्रतिशत हैं।[3] पाकिस्तान की कुल आबादी मे हिन्दू 1.6 प्रतिशत हैं और सिंध प्रांत में इनकी संख्या 6.6 प्रतिशत है। हिन्दू धर्म के अनुसूचित जाति के तबके की संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी का 0.25 प्रतिशत है। अगर पाकिस्तान, के दोनों हिन्दू समुदायों की संख्या जोड़ भी दें तो यह दोनों मिलाकर मात्र 1.85 प्रतिशत ही होते हैं।[4]

Pakistan's Religious Affiliations, by Region

Pakistan's population is about 175 million, of whom 96 percent are Muslim.

	Muslim	Christian	Hindu	Ahmadi
Total	96.28%	1.59%	1.60%	0.22%
	(168.5 million)	*(2.78 million)*	*(2.8 million)*	*(385,000)*
By Region				
NWFP*	99.44%	0.21%	0.03%	0.24%
FATA**	99.60%	0.07%	0.03%	0.21%
Punjab	97.21%	2.31%	0.13%	0.25%
Sindh	91.31%	0.97%	6.51%	0.14%
Balochistan	98.75%	0.40%	0.49%	0.15%
Islamabad	95.53%	4.07%	0.02%	0.34%

* North West Frontier Province ** Federally Administered Tribal Areas

Sources: Government of Pakistan, Ministry of Economic Affairs and Statistics, Population Census Organization, "Population by Religion," at *http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics/statistics.html* (April 30, 2009). Population figures and calculations are estimates based on press release, "Former USAID Director Recounts Pakistan's Agricultural Development," Embassy of the United States, Islamabad, Pakistan, March 2, 2007, at *http://islamabad.usembassy.gov/pakistan/h07030201.html* (May 1, 2009).

पाकिस्तान के सभी राज्यों में अभी कुल मिलाकर 70 लाख हिन्दू हैं। इनमें ज्यादातर सिंध में बसे हैं। ये आमतौर पर निचली सिंधु घाटी के शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनमें आधे से अधिक इसके दक्षिण पूर्वी जिले थारपरकार में रहते हैं जो भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है। देश के उत्तरी क्षेत्र पंजाब के सियालकोट और खैबर पख्तनवा के कोहाट को छोड़ कर पूरे उत्तरी भाग में हिन्दुओं की संख्या बहुत ही कम है।[5] इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अधिकारी एम.के. धर के अनुसार 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान की कुल हिन्दू आबादी वहां की कुल आबादी का एक चौथाई थी। तब कराची की आबादी 4 लाख 50 हजार थी जिसमें 50 प्रतिशत हिन्दू थे। 1998 में पाकिस्तान के हिन्दुओं की आबादी घट कर 1.6 प्रतिशत रह गई थी। आज पाकिस्तान के एन.डबल्यू.एफ.पी. यानी उत्तर–पश्चिमी सीमांत प्रदेश में 4,924 हिन्दू रहते हैं जबकि फाटा (FATA) यानी संघीय प्रशासन वाले आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हिन्दुओं की कुल संख्या 1,9,21 है।

खतरे में जीने का अधिकार

पाकिस्तान के बहुसंख्य मुस्लिम तबके द्वारा अल्पसंख्यक शिया संप्रदाय के सदस्यों पर बड़े पैमाने पर हिंसक हमले होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। विस्थापितों के संयुक्त राष्ट्र संघ के आयुक्त द्वारा बड़े जतन से तैयार किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट जो पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से मई 1912 में प्रस्तुत की गई थी, में स्पष्ट किया गया है पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू (कुल आबादी का 1.8 प्रतिशत) ईसाई (1.59 प्रतिशत) अहमदी (6 लाख), सिख और बहाई (दोनों मिलाकर 60 हजार) और 25 प्रतिशत शिया का जीवन खतरे में है।
उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले 2012 में 63 अलग–अलग वारदातों में 226 शिया मौत के घाट उतारे गए। पश्चिमी बलुचिस्तान प्रांत में 2012 के दौरान हजारा समुदाय के 100 से अधिक लोगों पर हमले हुए। ये लोग मूलतः शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2008 से 2011 के बीच 400 से अधिक शिया लोग मारे गए थे।[6] अकेले 2006 से 2009 के दौरान सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान कबाइली इलाके में 540 शिया लोग नस्ली हिंसा में मारे गए थे। इसके अलावा इस अवधि में हिन्दुओं और ईसाई लोगों पर भी जानलेवा हमले हुए थे। 2002 में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने मरी के एक गिरजाघर में हमला जिसमें 7 लोग मारे गए थे। उसी साल तक्षशिला के एक गिरजाघर में हुए हिंसक हमले में 20 लोगों की जान गई थी।[7]

बलात्कार, दमन और धर्मांतरण

सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वाइल्ड (स्पार्क) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में बलात्कार, दमन और अपहरण के माध्यम से 2000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और 161 लोगों को ईश निंदा करने के आरोप में कष्ट दिए गए। राष्ट्र की नीतियों में अल्पसंख्यकों को अलग–थलग रखा जाता है। 2011 में आई बाढ़ के बाद 1 लाख 30 हजार हिन्दू अपना घर–बार छोड़कर दर–बदर होने को मजबूर हुए थे और 86,500 हिन्दुओं को सिंध के कई शहरों की गलियों में आश्रय लेना पड़ा था। उत्तरी सिंध के कई हिस्सों से 27 हिन्दू बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। वहां प्राइमरी स्कूलों में हिन्दू अनुसूचित जातियों के बच्चों की प्रवेश दर केवल 10.2 प्रतिशत है। घृणा अभियान के तहत अहमदी बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। अपनी धार्मिक आस्था के चलते 10 अहमदी बच्चों को जिनमें 7 लड़कियां भी शामिल थीं, उनके शिक्षक समेत स्कूल से निकाल दिया गया था।[8]

संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्रता आयोग : धार्मिक उन्माद चरम पर

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अनुसार, पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाने पर रख कर किया जाने वाला हिंसक धार्मिक उन्माद अपने

चरम पर है। इसका असर पाकिस्तान के हिन्दू, ईसाई और सिख समुदायों के अल्पसंख्यक तबकों के करीब 10–13 मिलियन लोगों पर पड़ता है। इसके अलावा मुस्लिम तबके के ही शिया संप्रदाय के वे लोग भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते जो इस्माइल और जिकरी कहलाते हैं। ये भी राज्य की अल्पसंख्यकों को लेकर बनाई गई नीतियों से बुरी तरह परेशान रहते हैं। कमीशन (आयोग) कहता है कि 6 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के एक प्रावधान में संशोधन करवाया था। जिसमें अहमदी संप्रदाय को मुस्लिम होने से वंचित रखा गया था। तब से वहां लगातार यह मांग की जाती रही कि सुन्नियों के अलावा मुस्लिम तबके के जो भी लोग वहां हैं उन्हें गैर–मुस्लिम करार दिया जाए। इसी आधार पर शिया मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया गया। हाल ही में सुन्नी संप्रदाय के आधुनिक कहे जाने वाले बरेलवी संप्रदाय के मुस्लिमों पर भी कट्टरपंथी मुस्लिम तबकों ने यह कहते हुए प्रहार शुरू कर दिए कि इन्हें काफ़िर या मसरिक घोषित कर दिया जाए। यही कारण है कि पाकिस्तान में शिया और सूफी उपासना स्थलों पर लगातार होने वाले आतंकी हमले भी बढ़ रहे हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि अहमदी संप्रदाय को गैर–मुस्लिम करार देने के लिए संविधान संशोधन के बहाने जो नियम और कानून पाकिस्तान में बनाए गए हैं, उनका उपयोग दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भेदभाव करने के लिए किया जा रहा है।

आयोग की 2011 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों में धार्मिक अल्पसंख्यकों खास कर हिन्दू और ईसाई धर्मों का पालन करने वालों के प्रति द्वेष और असहिष्णुता को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये सब केवल इस्लाम की शिक्षा देने वाली किताबों में ही उपलब्ध नहीं है बल्कि ये सब उस पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में पढ़ाया जाता है। ये पाठ्यक्रम केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि पब्लिक स्कूलों में भी लागू है तथा मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम बच्चे भी नफरत से भरा पाठ्यक्रम पढ़ने को मजबूर हैं। यही नहीं, इन पाठ्यपुस्तकों में इस्लाम धर्म से प्रेरित चरित्रों पर आधारित कहानियां और जीवनियां भरी होती हैं, जिनको अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के बच्चों के लिए न केवल पढ़ना जरूरी होता है, बल्कि समय–समय पर बच्चों को इसकी परीक्षा भी देनी पड़ती है।

इसके अलावा पाकिस्तान के धार्मिक स्कूलों या मदरसों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वैचारिक प्रशिक्षण और प्रेरणा देने का काम भी लगातार जारी रहता है। ये वे बच्चे होते हैं, जो पाकिस्तान और विदेशों में संचालित और इस्लाम से प्रेरित धार्मिक हिंसा में संलग्न हैं। पब्लिक स्कूलों में लगी पाठ्यपुस्तकें, जिन्हें सभी बच्चों को पढ़ना ही होता है, ऐसे इस्लामी विचारों से भरी होती हैं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर गलत तथ्य दिए होते हैं या फिर उनके खिलाफ विषवमन किया गया होता है। इन किताबों में हिन्दुओं को लेकर तो तमाम नकारात्मक बातें लिखी ही होती हैं। ईसाईयों के बारे में भी आम तौर पर गलत और अपमानजनक सूचनाएं ही दी जाती हैं।

मदरसों की पाठ्यपुस्तकों में गैर मुस्लिमों को आमतौर पर तीन रूपों एक– काफिर या मुशरकीन (दो) धीमी (ऐसे गैर मुस्लिम जो इस्लामी कानूनों का पालन करते हैं) और तीन– मुरहिद (ऐसे लोग जो इस्लाम से अलग हो गए हैं) के रूप में वर्णित किया जाता है। गैर मुस्लिमों को कभी भी ऐसे नागरिकों के समान नहीं माना जाता जो संविधान प्रदत्त अधिकारों से लैस होते हैं। शिक्षकों द्वारा अहमदियों, ईसाईयों और यहूदियों के बारे में व्यक्त किए जाने वाले विचार आम तौर पर नकारात्मक ही होते हैं। पक्षपात और द्वेष से भरे ये विचार ही स्कूलों में बच्चों को दिए जाते हैं।

2006 से पाकिस्तान सरकार ने शिक्षा में सुधार की कुछ सिफारिशें रखी हैं, इन सिफारिशों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का सुझाव भी प्रस्तावित है। इन सुधारों से पाठ्यक्रम के उस कट्टर इस्लामीकरण की धार कुछ कुंद होगी जो जिया के समय शुरू हुआ था। बहरहाल, शिक्षा में सुधार के ये दिशा–निर्देश भी फिलहाल दूर की कौड़ी हैं। अभी जो किताबें पाठ्यक्रम में चल रही हैं, उनका 2006 से पुनर्प्रकाशन किया जाता रहा है, जिनमें मामूली तब्दीली की गई है। राष्ट्रीय न्याय और शांति आयोग (National Commission for Justice and Peace) की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूली किताबों में बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू अंधविश्वासी और पिछड़े होते हैं और मौका मिलने पर कमजोर तबके खासकर मुसलमानों पर हावी हो जाते हैं, शीशा पिघलाकर उनके कान में डाल देते हैं जिससे वे (मुस्लिम) पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं।

दगाबाज नागरिक

पाकिस्तान की सरकार हमेशा ही अल्पसंख्यकों को उनके बुनियादी अधिकार देने से परहेज करती रही है और उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा या इससे बदतर व्यवहार करती है। सरकार के साथ ही अल्पसंख्यकों को कई दूसरे तरह के सहयोगी नागरिकों और इस्लामिक आतंकवादियों की ओर भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, जैन और बहाई समेत कई अल्पसंख्यकों को शादी आदि के लिए भी किसी तरह की कानूनी सुविधा का प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यकों को शादी के लिए कानूनी मदद न देने का जो प्रावधान है उसका भी आम तौर पर इस्तेमाल उनको प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए किया जाता है।[9]

देश में ईश निंदा कानून का उपयोग भी बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने या अपना निजी हिसाब–किताब चुकता करने के लिए किया जाता है। रोमन कैथोलिक बिशप जॉन जोसेफ[10] की कहानी इसे बयां करने के लिए काफी है। जॉन ने अपने एक सहयोगी अयूब मसीह के खिलाफ दिए गए एक अदालती फैसले के विरोध में 1998 में अपने सिर पर गोली मारकर आत्म हत्या कर ली थी। इससे भी पाकिस्तान प्रशासन का दिल नहीं पसीजा था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। 14 वर्षीय ईसाई बालिका रिम्श मसीह की कहानी आज भी ताजा है। एक अंधविश्वासी मुस्लिम ने उस पर पवित्र धार्मिक पुस्तक जलाने का झूठा आरोप लगाया था। लोगों को यह घटना तभी पता चल सकी जब उसकी एक सहयोगी ने अधिकारियों से इस घटना की पुष्टि की थी।

जिन्ना संस्थानः गैर मुस्लिमों में बढ़ती असुरक्षा

पाकिस्तान के थोड़े बहुत धर्मनिरपेक्ष और कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी संस्थानों में एक जिन्ना संस्थान (Jinnah Institute) ने भी देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती की सच्चाई को पुष्ट किया है। अपने 70 पृष्ठों के दस्तावेज 'ए क्वैश्चन ऑफ फेथ : ए रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान –2011' में कहा गया है कि पाकिस्तान में शिक्षा, नौकरियां और स्वास्थ्य सेवा हासिल करने के मामले में गैर–मुस्लिम तबके को लगातार ही सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ा है।

ईसाई, हिन्दू और अहमदी जैसे प्रमुख, धार्मिक अल्पसंख्यकों को केन्द्र में रख कर किए इस अध्ययन में कहा गया है कि ये तबके साफ तौर पर भेदभाव और हिंसा का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक : आज 80 प्रतिशत सिंधी हिन्दू गरीब खेतिहर मजदूर हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम जमींदारों और ईंट–भट्ठा मालिकों के यहां गुलाम बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते हैं। कई बार दलित महिलाओं की उनकी इच्छा के खिलाफ मुसलमान पुरूषों के साथ शादी कर दी जाती है। सवर्ण और उंचे दर्जे के हिन्दुओं को भी मोटी रकम के बदले अपहरण जैसे कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उन पर इस्लाम की निंदा के मिथ्या आरोपों के तहत हमले किए जाते हैं।

पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक तबका ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये लोग हमेशा भय और असुरक्षा के माहौल में जीते हैं। इनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। इस संबंध में इस रिपोर्ट में एक ऐसी ईसाई महिला का उदाहरण दिया गया है, जिसका घर एक उग्रवादी युवा मुस्लिम समूह ने यह कहते हुए ध्वस्त कर दिया था : "ईसाईयों को चाहिए कि वे केवल यह सुने जो मुस्लिम उनसे कहते हैं, ताकि कोई भी (मुस्लिम) महिला इसका प्रतिकार करने का साहस नहीं जुटा सके। एक मुसलमान जमीन कब्जाधारी द्वारा एक गिरजाघर तोड़ दिए जाने की रिपोर्ट में एक अन्य ईसाई का उदाहरण देते हुए कहा गया है, 'मुसलमान किसी भी मामलें में उनको सहयोग नहीं करते। वे हमें छोटे दर्जे का समझते हैं। हमें अपने धर्म का उपदेश नहीं देने देते। हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। हमको अपने आप पर पाकिस्तान में रहने पर हैरत होती है।

सिंध और मुल्तान इलाके की मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद मुल्ला हिन्दुओं के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं। सभी उनसे डरते हैं। वकील जबरन धर्मांतरण के मामलों में पैरवी करने से परहेज करते हैं। उनको उन मुल्लाओं से जान का खतरा बना रहता है जो धर्मांतरण को इस्लाम के लिए सबसे बड़ा धार्मिक फायदा समझते हैं। पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत तक दर्ज नहीं करती। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाले इन मामलों में पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। अगर कोई विवेकशील मुस्लिम इस्लाम के नाम पर ऐसे गलत कामों के विरोध में अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोलने और उनके अधिकारों की सुरक्षा का मामला उठाने की कोशिश करता है तो उसे भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ता है।

राज्य ने इस अत्याचार के प्रति उदासीनता बरत रखी है। न्यायिक, कार्यपालिका और विधायी सभी स्तरों पर इसके प्रति अजीब किस्म का रहस्य बना हुआ है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार को लेकर राज्य ने उदासीनता अपना रखी है और घृणित अपराधियों को दंडित करने के मामले में राज्य पूरी तरह असफल रहा है। इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा फैलाई जा रही क्रूर संस्कृतियों और चौकसी की तरफ से सरकार ने पूरी तरह आंखें मूंद रखी हैं। रिपोर्ट में अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि सरकार ने पूरे पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों को लेकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल पाता। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब कभी हिन्दू, सिख, ईसाई और अहमदी तबकों वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के उपासना स्थलों पर बमबारी की जाती है या धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्य ऐसे हमलों में मारे जाते हैं तब राज्य प्रशासन इन घटनाओं की ओर से नजर फेर कर दूसरी तरफ देखने लगता है। इसमें आगे यह भी जोड़ा गया है कि धार्मिक मामलों के एक पूर्व मंत्री ने एक बार टेलीविज़न पर यह घोषणा तक कर दी थी कि अहमदी संप्रदाय के लोग 'वजीब–उल–कत्ल' हैं इसलिए अगर मुस्लिम उनको मार भी देते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है।[12]

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग : अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों में बढ़ोतरी

कई दूसरे संगठनों और व्यक्तियों ने भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों में वृद्धि की पुष्टि की है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर महीने लगभग 25 हिन्दू लड़कियों का अपहरण हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने देश में खासकर कराची और बलूचिस्तान में बलात्कार और धर्मांतरण के मामलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय न्याय और शांति आयोग (National Commission for Justice & Peace) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 62 फीसदी हिन्दू और ईसाई महिलाओं ने इस भय की आशंका जताई है कि अगर उनके खिलाफ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुसलमानों का बहुमत उनकी मदद नहीं करेगा। इसी तरह 43 फीसदी महिलाओं ने कार्य स्थलों, शैक्षिक संस्थानों या पड़ोसी बस्तियों में उनके साथ बदसलूकी की शिकायत दर्ज की है तो 27 फीसदी महिलाओं का कहना है कि उनको शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश लेते समय धार्मिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। गैर मुस्लिम तबकों के बच्चों की एक बड़ी तादाद का कहना है कि वे स्कूलों में इस्लामियत की शिक्षा लेने को मजबूर हैं। 76 फीसदी कामकाजी महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्य स्थलों पर यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यक महिलाओं को दो तरफा मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ महिला होने के नाते सेक्स की लड़ाई वे लड़ती हैं तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक होने का खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है।[13]

13 सितंबर 2012 को पाकिस्तान के एक सीनेटर और पूर्व मानवाधिकार, कानून और न्यायमंत्री इकबाल हैदर ने पूरे पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों की बेलगाम, बर्बर और अकारण हो रही हत्याओं का उल्लेख किया था। उन्होंने अहमदियों, सिखों और हिन्दुओं पर लगातार हो रहे सनसनीखेज हमलों, हत्याओं और

उत्पीड़न की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। इस तरह की वारदात के डर से इन समुदायों के लोगों को अपनी हिफाजत के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है।[14]

पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त जी. पार्थसारथी का अनुभव है कि पाकिस्तान के 24 लाख अहमदी लोग उत्पीड़न और अत्याचार के सर्वाधिक शिकार हैं। ये लोग अपने को मुसलमान कहना और उपासना स्थल मस्जिद तक को भूल गए हैं। हाल के दिनों में उनकी मस्जिदों की मीनारें ध्वस्त कर दी गई और उनकी कब्रें खोद डाली जाती हैं, अगर उन कब्रों के पत्थरों पर कुरान की आयतों का उल्लेख हो। तालिबान के एक बम विस्फोट में 95 अहमदियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध प्रांत में हर महीने 25 हिन्दुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराना पड़ता है। पाकिस्तान की सेना नियमित रूप से वहाबी अफगान तालिबानों को शिया बहुल गिलगित क्षेत्र में प्रवेश कराती है। अकेले कराची में 2012 के दौरान हिंसक वारदात में 118 लोग मारे गए जिनमें ज्यादातर शिया थे। पिछले एक दशक में ज्यादातर शिया चिकित्सक कराची छोड़ कर चले गए। यही नहीं कराची में शांत स्वभाव के वोहरा संप्रदाय के लोगों को भी शियाओं के नाम पर हिंसक वारदात का निशाना बनाया जाता है।[15]

पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस : अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं शरीयत कानून

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस के प्रमुख नजीर एस. भट्टी ने पंजाब का विभाजन कर ईसाईयों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। पाकिस्तान के ईसाइयों का मानना है कि शरीयत कानून वहां दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों को अलग–थलग कर दिया जाता है और देश के प्रशासन से संबंधित मामलों में उनको कभी भी विश्वास में नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कभी बैठक ही नहीं होती। पूरे प्रशासनिक तंत्र में ईसाई, हिन्दू अहमदिया और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की भूमिका नगण्य है। कानून बलात्कारियों और अपहरणकर्ताओं का बचाव करते हैं। ईश निंदा कानून भीड़ को अल्पसंख्यकों की संपत्तियों और जीवन पर हमला करने के लिए प्रेरित करते हैं।

अक्टूबर 2002 में तत्कालीन संघीय मंत्री और नोबल पुरस्कार के लिए नामित जूलियस सलिक ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार के अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा था, "मैं समझता हूं कि यह मेरा अधिकार है कि मैं इस इस्लामिक गणराज्य वाले देश पाकिस्तान में ईसाईयों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, भेदभाव, द्वेषपूर्ण व्यवहार और अन्याय के मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं; यह सब उसी देश में हो रहा है जो एक कल्याणकारी राज्य है और जहां के सभी राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यकों को संसद में मनोनीत करने के अधिकार दिए हैं। ये सांसद अल्पसंख्यकों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं क्योंकि ये अल्पसंख्यकों के वोट से नहीं चुने गए हैं। ....यही नहीं मौजूदा संसद में ईसाई समुदाय के मात्र 2 प्रतिनिधि हैं। ....पारसी, सिख, बौद्ध और अहमदिया संप्रदायों का एक भी प्रतिनिधि मौजूदा संसद में नहीं है।"

2010 में अल्पसंख्यकों की परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद न्यायमूर्ति जवाद ख्वाजा ने बहुत ही संयम बरतते हुए कहा कि संसद में अल्पसंख्यकों के 30 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधि उनके कथित प्रतिनिधि हैं। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल ने कहा कि मौजूदा दौर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को संसद में भेजने और सीट आरक्षण की जो व्यवस्था है, वह न्याय की लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ और अनैतिक है। न्यायमूर्ति खलील उल रहमान ने खेद व्यक्त किया कि मौजूदा संसद ने अल्पसंख्यकों के चुनाव के लिए कोई कानून नहीं बनाया। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को संसद में भेजने का जो तरीका मौजूदा समय में अपनाया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 226 के खिलाफ है। पर इस सब का पाकिस्तान के भाग्य निर्माताओं पर कोई असर नहीं हुआ।

हाल की कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के लोगों को मामूली मजदूरी वाला काम भी नहीं मिल पाता है। अगर कुछ लोग उन्हें काम देना भी चाहते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। जिन ईसाइयों के पास थोड़ी बहुत सम्मानजनक नौकरियां हैं भी, तो वे इस उम्मीद में अपना काम छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं कि शायद वहां ऐसी जलालत का सामना न करना पड़े। पिछले दो दशक के दौरान बड़ी तादाद में ईसाई समुदाय के लोग आजीविका की तलाश में लाहौर पलायन कर चुके हैं। इससे शहर में उनकी आबादी 10 प्रतिशत बढ़ गई है। ईसाईयों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 2005 में पेशावर के बिशप मुनरवर रूमालशाह ने इसका वर्णन करते हुए यहां तक कह दिया था, "अगर मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव का एक नमूना देना चाहूं तो यही कह सकता हूं कि इस समुदाय के एक भी सदस्य को जीवन–यापन के लिए कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके परिणामस्वरूप हमारे सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अगर आप हमारे आर्थिक संसाधन ही नष्ट कर देंगे तो हमको शारीरिक रूप से मारने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए सुरक्षा देने की ये तमाम बातें निरर्थक हैं (जब तक कि ईसाईयों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया न जाए)[16]"

पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के जो लोग मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ कर भारत चले आए हैं। उनमें से कुछ के साथ आपसी बातचीत के दौरान इन शोधकर्ताओं को यह भी पता चला कि पाकिस्तान में इन समूहों का जीवन खतरे में है। पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए इन विस्थापितों ने भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ते जा रहे आतंक और असहिष्णुता के माहौल से परेशान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस उम्मीद में अपना घर–बार छोड़ कर इधर–उधर भाग रहे हैं कि शायद दूसरी जगह वे कम–से–कम इससे अधिक सुरक्षित होंगे, फिर चाहे वो जगह पर कोई भी क्यों न हो। पाकिस्तान के ईसाईयों की तरह दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भी आर्थिक परिस्थितियां आज वहां कमोबेश ईसाईयों जैसी ही हैं।

अध्याय–दो

कट्टरपंथी ताकतों के सम्मुख सरकारी समर्पण

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति का मुख्य कारण यह है कि वहां के राजनीतिज्ञों ने पूरी तरह कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने काफी कुछ लिखा भी है लेकिन सच्चाई यही है कि जब से प्रगतिशील समझे जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपिता एम.ए. जिन्ना ने सांप्रदायिक ताकतों के सहयोग से अपनी सत्ता की भूख बढ़ाई, तब से वहां के धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकना पड़ रहा है। यह सब होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद सत्ता पाने की इच्छा शक्ति पर ही रखी गई थी और अविभाजित ब्रिटिश भारत से अलग कर पाकिस्तान का एक देश के रूप में गठन किया गया था। प्रतिक्रियावादी और अवसरवादी समझी जाने वाली इस्लाम धर्म की देवबंदी धारा ने पाकिस्तान में अपना बड़े पैमाने पर विस्तार किया और वहां की जनता को बरगलाकर, इस्लाम के एक विसंगतिपूर्ण और अमानवीय स्वरूप से साक्षात्कार कराया। जिसका असर वहां की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देता है। पाकिस्तानी समाज में ऐसी ताकतों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में इस्लामिक शासन स्थापित करने की ओर आगे बढ़ा जा सके। इन सारे कामों में पाकिस्तान की राजनीतिक आकांक्षा रखनेवाली सेना का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी ताकतों ने आपस में मिलकर जमात–ए–इस्लामी के संस्थापक सैयद अब्दुल अल मादूदी के सिद्धांत को स्थापित करने को प्राथमिकता दी और इसी आधार पर पवित्र इस्लामिक समुदाय के रूप को हर तरह स्थापित करने के प्रयास भी किए। कुछ उदाहरणों के रूप में जिन्ना का बहुलतावाद, जनरल अयूब खान के आधुनिक इस्लाम और जुल्फिकार अली भुट्टो के लोक इस्लाम[17] जैसे कुछ सिद्धांतों को देखा जा सकता है। इन सब प्रयोगों का असर यह हुआ कि एक–एक करके इन सभी सिद्धांतों ने बदलाव के साथ पूरे राज्य को एक इस्लामिक राज्य में बदल दिया और उसमें भी सुन्नी समुदाय का दबदबा बढ़ गया। यह सब इसलिए भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही अपने चिर प्रतिद्वंद्वी शिया बहुल ईरान से अपने को अलग दिखाने की कोशिश में लगा रहा।[18]

इस्लामीकरण के सहयोगी : राजनीतिज्ञ और सैन्य प्रशासक

यहां तक कि जिन्ना जैसे नेता जिन्हें स्थापित टिप्पणीकारों और राजनीतिज्ञों ने प्रगतिशील समझा था, ने भी पाकिस्तान को कट्टरपंथी इस्लामीकरण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने यह किया कि जब कभी राज्य की प्रतिक्रियावादी ताकतों ने ऐसा कुछ करने के संकेत दिए जो आधुनिकता के अलावा कुछ और हों उसे जिन्ना ने सहयोग जरूर दिया या ऐसी गतिविधियों की अनदेखी की। उदाहरण के लिए जिन्ना ने इस तथ्य की भी अनदेखी की कि जब वहां की सेनाओं ने अपनी पहचान के रूप में 786 अंक को स्थापित करने की कोशिश की, गौरतलब है कि यह संख्या कुरान की

पहली लाइन से पहले लिखी जाती है और इस्लाम में कोई भी काम शुरू करने के पहले इस संख्या का वैसे ही उपयोग किया जाता है, जिस तरह हिन्दू धर्म में किसी काम की शुरुआत गणेश का नाम लेकर की जाती है। कुरान की पहली लाईन बिसमिल्लाह उर्र रहमान उर्र रहीम जैसी धार्मिक शब्दावली का उपयोग पाकिस्तान की सेना की बैरकों, गेट और वाहनों में किया जाता है और 786 अंक इस पूरी धार्मिक भावना को इंगित करता है।[19]

जनरल अयूब खान : इस्लाम ही बुनियाद

जिन्ना के उत्तराधिकारी के रूप में जो भी आए, सभी ने बिल्कुल वैसे ही एक पक्षी के रूप में काम किया जो एक जैसे पंख से वैसी ही उड़ान भरते हैं। अपने–अपने हिसाब से सभी ने इस्लामिक एजेंडे को अपनाने की मुहिम जारी रखी। 1956 में अयूब खान ने पाकिस्तान के संविधान को इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया था। 1959 में उन्होंने एक प्रपत्र जारी करके इसके सैद्धांतिक पक्ष की आवश्यकता का बचाव भी कर दिया था कि पाकिस्तान को इस्लामिक सिद्धांत की जरूरत क्यों है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान के लिए इस्लाम ही एक आधार था और इस आधार पर उन्होंने भारत को इस्लाम और पाकिस्तान दोनों का पहले नम्बर का शत्रु करार दिया था। उन्होंने इस बाबत एक नया पाठ्यक्रम स्थापित किया, जिसे इस्लामियत नाम दिया गया और यह पाठ्यक्रम वहां के स्कूलों की शिक्षा का माध्यम बना। इस सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान एक सपना था, जिसकी शुरुआत 712 ए.डी. में तभी हो गई थी जब पहली बार अरब की सेना ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के तट पर डेरा जमा लिया था।[2]

जनरल याह्या खान : सशस्त्र सेना इस्लाम की रक्षक

अयूब खान के उत्तराधिकारी याह्या खान ने यह वायदा किया था कि सशस्त्र सेनाएं पाकिस्तान की वैचारिक रक्षक होंगी जो सीमा के साथ ही देश के अंदरूनी हालात पर भी नजर रखेंगी। 1970 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी कट्टरपंथी पाकिस्तानी इस्लाम का विस्तार करने की योजना को सहमति दी थी। इस योजना के तहत पाकिस्तान के कट्टरपंथी देवबंदियों और सऊदी अरब के वहाबियों के बीच परस्पर संपर्क का रास्ता खुला। जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में पाकिस्तान के तीसरे संविधान का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। जिसमें यह स्वीकार किया कि 1949 में धार्मिक संगठनों ने जो धर्म आधारित प्रस्ताव पारित किया था उसे आधार बनाकर पाकिस्तान को एक धार्मिक राज्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस अवधि में बनाए गए संविधान में यह प्रावधान रखा गया कि राज्य मुसलमानों को इस्लामिक जीवन जीने की सुविधा प्रदान करे और इसी संविधान के तहत 'काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी' नामक एक संस्थान की स्थापना भी की गई थी। वहां जो भी कानून बने वह इस्लामिक हितों को ध्यान में रखकर ही बनाए।

प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टोः मुल्ला हमारे मित्र

भुट्टो ने भी मादूदी संप्रदाय को तुष्ट करने की गरज से अपनी सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में पूर्व जमात सदस्य मौलाना कौसर नियाजी को काबीना मंत्री का दर्जा दिया था। भुट्टो भी शातिर तरीके से राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने की कला में माहिर थे और इसी के चलते उन्होंने सेनाध्यक्ष पद के 7 दावेदारों में सबसे जूनियर सैन्य अधिकारी जियाउल हक को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया था। उसी साल जब सरदार मोहम्मद दाउद ने अफगान के राजा को उखाड़ फेका था, तब भुट्टो ने अपने विदेश विभाग में एक सेल की स्थापना की जो अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सके और इसके लिए उन्होंने अपने गुप्तचर विभाग को अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार जैसे प्रतिक्रियावादी नेताओं को धन बल से सहयोग करने के लिए अधिकृत भी कर दिया था। रब्बानी का रिश्ता जमात–ए–इस्लामी से था। जबकि हिकमतयार हिज्ब इस्लामी संगठन के माध्यम से मुस्लिम बिरादरी से जुड़े हुए थे। 1976 में भुट्टो ने काबा के इमाम और मदीन की मस्जिद के प्रधान को पाकिस्तान आमंत्रित किया था और इस दौरान पाकिस्तान के होटलों को यह आदेश भी दिया था कि वे अपने होटल के कमरों में पवित्र कुरान की पुस्तक भी जरूर रखें।[21]

जनरल जियाउल हकः देवबंदी तानाशाह

पाकिस्तान के इस्लामीकरण की दौड़ को गति देते हुए जनरल जियाउल हक ने जो देवबंदी संप्रदाय के अनुयायी थे[22] अपने–आप को 1977 में जमाते इस्लामी से संबंध कर दिया और पाकिस्तान के इस्लामीकरण की शुरुआत कर दी। खासकर पाकिस्तानी सेना में इस्लामीकरण की यह रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। जियाउल हक इस्लाम के एक ऐसे कानूनी पहलू के पक्षधर थे जिसमें दोषियों को कठिन दंड देने का प्रावधान हो।[23] 1976 में उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सूत्र वाक्य बदलकर जिहाद फी सबील अल्लाह कर दिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार दे दिया जो पाकिस्तान की इस्लामी वैचारिकता को न मानते हों। नवंबर 1979 में जियाउल हक ने इस्लामिक पाकिस्तान की अपनी अवधारणा को स्पष्ट किया। जहां केवल अच्छे मुसलमान चुनाव लड़ने के अधिकारी बताए गए हैं; नए विचार के तहत महिला अधिकारों में सुधार; राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मजलिस–ए–शूरा की स्थापना करने का प्रावधान भी रखा गया। मजलिस–ए–शूरा को काफी अधिकार सम्मत बनाने का प्रावधान भी इस नए विचार में था। यहीं नहीं नई व्यवस्था में सशस्त्र सेनाओं की राजनीतिक भूमिका भी सुनिश्चित की गई; ऐसे लोग जो इस्लामिक विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए तंत्र में कोई स्थान न होने; तथा मीडिया को न सेना और न इस्लामिक विचार की आलोचना करने का अधिकार ही इस व्यवस्था में दिया गया था। जनरल जियाउल हक ने ऐसे मदरसों की स्थापना की थी, जिनका संचालन जमात–ए–इस्लामी और इन जैसे दूसरे देवबंदी धारा के इस्लामी संगठनों द्वारा किया जाता था। ये संगठन अपनी विचारधारा के अनुरूप युवकों का दिमाग पूरी तरह से बदलने की कला में प्रवीण हुआ करते थे।

जनरल जिया ने यह घोषणा की थी कि चूंकि इस देश का गठन पाकिस्तान के नाम और रूप में हुआ है इसलिए पाकिस्तान में इस्लाम की सत्ता सर्वोच्च होगी।[24] जियाउल हक ने इस बारे में कहा था, "पाकिस्तान में पाठ्यक्रम को बदलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी और पाठ्यक्रम में सुधार इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि शिक्षा की पूरी विचार प्रक्रिया इस्लामिक हो जाए और एक ऐसा वैचारिक पक्ष बने जो नई पीढ़ी के पूरे व्यक्तित्व को ही इस्लामिक विचारधारा के अनुरूप बदल सके ताकि इस्लाम के सिद्धांत के अनुरूप समाज का पुनर्निर्माण हो सके।"[25]

1979 में सैनिक सत्ता ने यह घोषणा की कि वे मौजूदा आचार संहिताओं को हुदूद अध्यादेशों से बदल देगी। इनमें मिलावट समेत दूसरे अपराधों में कठिन से कठिन दंड देने का प्रावधान है। तत्कालीन सरकार ने संघीय शरीयत को यह आदेश भी दिए कि वे किसी भी हालत में 1872 के कानून में संशोधन करे और इसके स्थान पर इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस की स्थापना करे (कानूनी शहादत नामक इस इस्लामिक हुदूद अध्यादेश में यह व्यवस्था की गई थी कि अदालतों में महिलाओं की कीमत पुरूषों की कीमत से आधी होगी।)[26] इसके चलते पाकिस्तान में एक समानांतर कानूनी तंत्र अस्तित्व में आ गया। देश के सभी उच्च न्यायालयों में शरीयत की बेंच अस्तित्व में आईं, जिनका काम था ऐसे किसी भी कानून को रद्द करना जो इस्लाम को सम्मान न देता हो। संघीय शरीयत कोड को यह अधिकार भी दिए गए कि वह किसी भी धर्मनिरपेक्ष अदालत, प्रांतीय विधानसभा या नेशनल एसेंबली द्वारा दिए गए किसी ऐसे फैसले को चुनौती दे सके जो पवित्र कुरान और सुन्ना में दिए गए किसी भी तरह के इस्लामी कानून के विरोध का संकेत देते हों। इससे शरीयत अदालतों को बेपनाह आजादी मिली और अपने हिसाब से फैसले तय करने का अधिकार भी मिला। गौरतलब है कि सन् 2007 में शरीयत कोर्ट ने पाकिस्तान के एक ईसाई यूनिस मशीह को ईश निंदा के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। (बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया था)। मई 2007 में कराची के एक जिला जज ने तब ऐसे कई शियाओं को अपराधी घोषित कर दिया था जब उनके पड़ोसियों ने उनके खिलाफ ईश निंदा कानून को लेकर एक मुकदमा दायर किया था।[27]

प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ : बिन लादेन से लगाव

इस्लामिक एजेंडा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने की गरज से पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने 90 के दशक में तालिबान का जिन्न खड़ा किया।[28] उन्होंने अलकायदा प्रमुख की सुरक्षा भी की थी। 1996 में श्रीमती भुट्टो ने पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल परवेज मुशर्रफ को ओसामा बिन लादेन को पुनर्वासित करने के निर्देश दिए थे (जिसे सूडान ने देश से बाहर निकाल दिया था।) बेनजीर भुट्टो के निर्देशों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान–अफगानिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में पुनर्वासित किया जाना था।

उनके उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी प्रतिक्रियावादी इस्लामिक ताकतों से सहानुभूति रखते थे। उनके पिता मियां मोहम्मद शरीफ तालिबानी जमात के संरक्षक थे। 1998 में प्रधानमंत्री शरीफ ने पंजाब के राज्यपाल और संघीय सूचना मंत्री मुज़ाहिद हुसैन सईद को निर्देश दिया था कि वे लश्करे तैयबा

के मुखिया हाफिज सईद (अहिले हदीश) को अपने मुख्यालय मुरीदका बुलाएं। आज भी शरीफ परिवार प्रतिक्रियावादी इस्लामी ताकतों के संपर्क में हैं और काफी करीब भी हैं। नवाज़ शरीफ के भाई फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार के मंत्री राणा सना उल्लाह तालिबान का समर्थन करते हैं और उनके अलकायदा के साथ संबंध भी हैं।

प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के समय नवाज शरीफ ने कथित रूप से अमेरिकी प्रशासन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि पाकिस्तान उसकी सैन्य टुकड़ी को कांधार से लगी हुई पाकिस्तानी सीमा से कार्य संचालन की अनुमति दे ताकि बिन लादेन को मारा या पकड़ा जा सके। जब जनरल जहांगीर करामात पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख थे, तब शरीफ ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान और खालिद नवाज़ सरीखे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की अनदेखी कर जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तानी सेना का मुखिया बनाया था। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के कई कट्टर इस्लामिक संगठनों के साथ अंदरूनी संपर्क रहे हैं। वे भी एक देवबंदी भक्त थे। यही कारण है कि जनरल जिया ने एक बार उनको अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना के खिलाफ कई धर्मांध आतंकियों को प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा था।[29]

जरदारी – राजा – कयानी – त्रिमूर्ति : कश्मीर पर इस्लामिक मंत्रोच्चार

पाकिस्तान का मौजूदा तंत्र भी जो जरदारी–राजा–कयानी के त्रिकोण से संचालित है। अल्पसंख्यकों की दुर्गति के मामले में किसी तरह भिन्न नहीं है। प्रतिक्रियावादी इस्लामिक ताकतों के सुर में सुर मिलाने के अंदाज में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 2012 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा की बैठक में कश्मीर के मामले पर ऐसा ही राग अलापा था। पाकिस्तान की कथित प्रगतिशील पार्टी नेशनल अवामी पार्टी जिसके अध्यक्ष सीमांत गांधी (खान अब्दुल गफ्फार खां) के पोते हैं, के एक सदस्य और पाकिस्तान के रेल मंत्री गुलाम मोहम्मद बिलफोर भी इस मौके पर उनके साथ थे। बिलफोर ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहने वाले मिस्र के उस व्यक्ति का कत्ल कर देता है तो वो उसे एक लाख डॉलर का इनाम देंगे, जिस व्यक्ति ने 'इनोसेंस ऑफ मुस्लिम' नामक ईश निंदनीय फिल्म यू–ट्यूब में पोस्ट की थी। इस संबंध में यह भी आसानी से कहा जा सकता है कि किसी को भविष्य के इमरान खान सरीखे शासकों से भी इस मामले में कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनके पाकिस्तानी सैन्य तंत्र और तालिबानी समूह के साथ रिश्तों के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं।[30]

अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की नीति

जिन्ना से लेकर जरदारी तक सभी पाकिस्तान के शासकों की अल्पसंख्यकों को लेकर कमोबेश एक जैसी ही धारणा बनी रही है। जिसके चलते नीतियों और कार्यक्रमों में इस तबके की हमेशा ही अनदेखी की गई। कहा यह भी जा सकता है कि जिन्ना भी वास्तव में अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति

नहीं थे। माना जाता है कि देश के विभाजन के तुरंत बाद उन्होंने जो बहुलतावादी समाज की बात कही थी, वह केवल इसलिए की थी कि उस वक्त पाकिस्तान सांप्रदायिक हिंसा की जिस आग में झुलस रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में कोई बहुत बड़ा हादसा न हो जाए। उस समय जिन्ना गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एक छोटे से तबके को केवल इसलिए बंधक बनाकर रखना चाहते थे ताकि विभाजन के बाद अपनी इच्छा से भारत में रह गए मुसलमानों को किसी तरह की हिंसा का शिकार न होना पड़े।[31] .हिंदुओं को लेकर जिन्ना की पार्टी में कोई सदभाव की बात इसलिए भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग का हिंदुओं के प्रति जो रवैया था उसका आगाज दिसंबर 1947 में तब ही हो गया था, जब बंगाल के बड़े मुस्लिम लीग नेता एच.एस. सोहरावर्दी के उस प्रस्ताव को पार्टी ने नकार दिया था। जिसमें पार्टी की सदस्यता के दरवाजे हिंदुओं के लिए भी खोले जाने की बात कही गई थी। सोहरावर्दी का तर्क था कि ऐसा करने पर बंगाल के अल्पसंख्यक हिंदू बड़ी तादाद में पार्टी की सदस्यता लेने को तैयार हो जाएंगे, उस समय लगाए गए अनुमान के मुताबिक यह संख्या पूर्वी बंगाल की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई थी। ऐसा करने पर मुस्लिम लीग का आधार भी व्यापक होता और जिन्ना की धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान राज्य की कल्पना भी साकार हो सकती थी। पर मुस्लिम लीग के ही एक दूसरे नेता सरदार अब्दुर राव निस्तर जैसे नेता ने जो जिन्ना के काफी करीबी माने जाते थे और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का प्रतिनिधित्व करते थे। सोहरावर्दी के इस प्रस्ताव के मानने से इंकार कर दिया, उन्होंने यह घोषणा की कि ऐसे किसी भी काम से मुस्लिम लीग खत्म हो जाएगी। उनके शब्दों में, "मैं कहता हूं अगर लीग जिन्दा रहेगी तो इस्लाम भी जिन्दा रहेगा। अगर इस्लाम जिन्दा रहेगा तो मुसलमान भी जिन्दा रहेगा।"[32]

याह्या खान : हिन्दू पांचवा स्तंभ

जहां तक जिन्ना के बाद वाले समय की बात है, सभी सरकारों ने अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव संबंधी अपनी नीति खुली रखी। बांग्लादेश के संकट के दौरान पूर्वी बंगाल की हिंदू आबादी वहां की तत्कालीन आबादी का 12 प्रतिशत थी। हिन्दुओं की इस आबादी को लेकर याह्या खान की सरकार ने यह आरोप भी लगाया कि ये लोग पांचवें स्तंभ के रूप में भारतीय सेना की सेवा में लगे हैं। इस आरोप के मुताबिक ये लोग बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देकर देश तोड़ने की जल्दबाजी कर रहे हैं।[33]

जुल्फिकार अली भुट्टो : गैर मुस्लिम दूसरे दर्जे के नागरिक

पाकिस्तान की अल्पसंख्यक आबादी के प्रति तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का रवैया लोकतांत्रिक नहीं था। सितंबर 1972 में उन्होंने ईसाई स्कूल और कॉलेजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1973 के अपने संविधान में उन्होंने विशेष व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद मुस्लिम तबके के लिए आरक्षित कर दिए थे और इस तरह अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया था।[34] अल्पसंख्यकों को परेशान करने की गरज से 1974 में प्रधानमंत्री भुट्टो ने एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करवाई कि अहमदिया संप्रदाय के लोग नॉन मुस्लिम हैं। इस संबंध में बनाए गए एक विधान

के मुताबिक अहमदिया संप्रदाय के लोगों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया था। इसमें यह व्यवस्था थी कि अहमदी अपने–आप को न तो मुस्लिम कहला सकते हैं और न ही उपासना स्थल के रूप में मस्जिद का उपयोग ही कर सकते हैं। यही नहीं, अहमदिया संप्रदाय के लोगों पर नमाज पढ़ने के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर भी इससे प्रतिबंध लग गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि अहमदिया संप्रदाय के लोग अपने परंपरागत इस्लामिक संबोधनों का इस्तेमाल भी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते थे और न ही सार्वजनिक रूप से कुरान की किसी आयत को उद्धृत कर सकते थे।[35]

जियाउल हक : ईश निंदा कानून

सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति जियाउल हक ने धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पैदा करने की गरज से एक अतिरिक्त कानून अपने समय में लागू किया था। इस कानून के लागू होने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ सैन्य सेवा, शिक्षा और सामान्य प्रशासन में भेदभाव किया जाने लगा। राष्ट्रपति जिया ने 1984 में एक अध्यादेश जारी किया जिसकी धारा 298 (बी) और 298 (सी) को पाकिस्तान दंड संहिता का हिस्सा बना दिया गया। इन धाराओं के तहत जो भी अहमदी अपने–आप को मुस्लिम घोषित करता हो या अपने धर्म को इस्लाम के किसी धर्म का ही रूप बताता हो चाहे वह इस पर अपने घर में ही क्यों न अमल करता हो, को तीन साल की कैद का अधिकारी बता दिया गया था।[36] इसके दो साल बाद जियाउल हक ने एक बार फिर अहमदियों और गैर मुस्लिमों को एक अन्य धारा 295 (सी) के तहत अपराधी के दायरे में वर्गीकृत कर दिया था। जिसमें यह कहा गया था कि जो भी व्यक्ति पैगम्बर मोहम्मद या कुरान के प्रति असम्मान प्रदर्शित करेगा उसे आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा दी जाएगी।[37]

1985 में एक और कानून के तहत जनरल जियाउल हक ने गैर मुस्लिम तबके को वोट देने के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया था। इस कानून के तहत गैर मुस्लिमों को चार समूहों में बांट दिया गया था और ये समूह थे– ईसाई, हिन्दू, अहमदी और सिख। बौद्ध और पारसियों को एक समूह में रखा गया था। इन सभी समूहों पर यह पाबंदी लगा दी गई थी वे किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते अथवा ये लोग मुसलमानों की तरह एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा इन समुदायों के लोगों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वे अपने ही धार्मिक समूह के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं।[38]

इस तरह के कानून बनने से अहमदियों, ईसाईयों, हिंदुओं और शियाओं को समय–समय पर अन्याय और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ईश निंदा कानून, हुदूद अध्यादेश और कानूनी शहादत जैसे कानूनों के तहत सरकार को यह पूरा अधिकार दिया कि वह एक नागरिक के समान व्यवहार घर और घर से बाहर कहीं भी, को नियंत्रित करे। इसमें सेक्स और बलात्कार जैसे दूसरे अपराधों के साथ ही परस्त्री गमन जैसे अपराध भी शामिल हैं। हुदूद अध्यादेश के तहत एक गैर मुस्लिम व्यक्ति का सत्यापन एक मुस्लिम व्यक्ति के बराबर नहीं है और बलात्कार के मामलों में एक व्यक्ति को दो महिलाओं के बराबर सजा देने का प्रावधान है।

अध्याय–तीन

प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रतिक्रिया निष्क्रिय

इस पृष्ठभूमि में यह जानकर थोड़ी हैरत होती है कि विश्व के शिखर लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन के मामले को लेकर इतने उदासीन और निष्क्रिय क्यों है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र होने के नाते विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों का यह फर्ज बनता है कि वे यह देखें कि पाकिस्तान में मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित मानदंडों का क्यों और किस प्रकार हनन हो रहा है और मानवाधिकार हनन को लेकर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कायदों का पाकिस्तान में उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाए जाने के मामले में पिछले कुछ महीनों के दौरान बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब यह सुनने को न मिलता हो कि पाकिस्तान में हर रोज अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं और उनके उत्पीड़न की खबरें भी सुनने को जरूर मिल जाती है। पाकिस्तान के कई अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने भारत और अमेरिका समेत विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों और कूटनीतिक मिशनों से सहायता की अपील की है, लेकिन इस मामले में सरकारों की ओर से कोई विशेष गतिविधि देखने को नहीं मिलती।

व्हाइट हाउस : याचिका कूटनीति

पाकिस्तान के मामलों को लेकर ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस भी एक तरह की याचिका कूटनीति में उलझकर रह गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से वहां के अल्पसंख्यक तबकों की सुरक्षा करने की अपील भर की है। हाल ही में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रॉबर्ट नेनेन डेज, बैंड कार्डेन और रॉबर्ट के.सी. के साथ ही रिपब्लिकन सीनेटर मार्ककिर्क, रॉय ब्लंट और माइक जोहान्स ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान की एक ईसाई लड़की की आप बीती की चर्चा की है। इस पत्र में कहा गया है कि उस लड़की पर जबरन इस्लाम की पवित्र पुस्तकें जलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे वह बुरी तरह दहशत में है। इन सीनेटरों ने अपने पत्र में यह खुलासा भी किया है कि पीड़ित रिम्सा मसीह को इस्लामाबाद के एक सुदूरवर्ती स्थान स्थित उसके घर से गिरफ्तार करने के बाद से पुलिस की हिरासत में रखा गया है और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ऐसे अभियोग में उसे आजीवन कैद या मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। इस बाबत अमेरिकी सीनेटरों का यह भी कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू ईश निंदा कानून ने उनके अधिकारों का हनन किया है और इस संबंध में जरदारी सरकार से पाकिस्तान में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने का अनुरोध किया है। रिम्सा मसीह पर ईश निंदा का केवल आरोप लगने से ही उसके पड़ोसी ईसाईयों को डर के मारे अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। पत्र ने पाकिस्तान के हिन्दू और अहमदी संप्रदाय के लोगों पर हो रहे अमानवीय हमलों को भी तत्काल रोकने और सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराने की अपील राष्ट्रपति से की

है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति पाकिस्तान के सभी नागरिकों चाहे वे किसी भी धर्म के हों सुरक्षा प्रदान करें।

अमेरिकी सांसदों ने यह भी कहा है कि अहमदिया समुदाय शिया संप्रदाय की तरह ही लगातार हत्या, हिंसा और भेदभाव का शिकार रहा है। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का जानबूझकर इस्तेमाल वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करने और समाप्त करने के उद्देश्य से ही किया जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति को इस तथ्य की याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के प्रभाव के चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, वह मानवाधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई वैश्विक घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन है।[39]

नई दिल्ली : कुछ न करने की कूटनीति

पड़ोसी देश भारत के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह हमेशा की तरह पाकिस्तान के मामलों में कुछ भी न करने की रणनीति पर अमल कर रहा है। इस संबंध में ज्यादा कुछ न हुआ, बल्कि संसद में बहस ही होकर रह गई। कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगभग 150 हिन्दू अटारी होते हुए भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में यह मसला उठाया था। राज्यसभा में पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने यह मामला उठाते हुए सदन में कहा था कि हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 1947 में विभाजन के दौरान थे। तब भी विस्थापित दोनों तरफ इधर–उधर भटक रहे थे। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कई बार यह व्यवस्था दी है कि विस्थापितों को बसाने में गंभीरता से काम करने की जरूरत होती है। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार इन पाकिस्तानी बेसहारा लोगों को विस्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े। श्री प्रसाद यह भी जानना चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के विस्थापन के मामले को लेकर इस तरह की चुप्पी आखिरकार क्यों है?उनका यह भी कहना था कि जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चैम्पियन बनते हैं, वे अब चुप क्यों हैं?

पाकिस्तान से हो रहे हिंदुओं के पलायन को लेकर ऐसी ही एक आवाज लोकसभा में भी सुनाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पाकिस्तान में हो रही हिंसक वारदात और इनके चलते वहां के अल्पसंख्यक तबकों को होने वाली परेशानियों को लेकर संसद से एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में यह मामला उठाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में हिन्दू, सिख, ईसाई समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। श्री सिंह के मुताबिक 20 हिन्दू और सिख परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए हैं और भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 250 पाकिस्तानी तीर्थ यात्री जो भारत आए थे, से पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत आने से पहले इस आशय का एक अंडरटेकिंग भी लिया था, जिसमें उनसे यह कहलाया गया था कि वे पाकिस्तान के अंदरूनी

हालात को लेकर भारत में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। एक हिन्दू लड़के के अपहरण और एक लड़की के धर्म परिवर्तन को लेकर दिखाई जा रही एक टीवी फुटेज का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बारे में वहां के धार्मिक नेताओं ने भारत के उच्चायोग और अमेरिकी दूतावास को चिट्ठी भी लिखी है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने इस मसले पर संसद में चर्चा कराने की मांग की ताकि पाकिस्तान में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर भारत में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न हो। उन्होंने कहा कि मामला केवल धार्मिक नहीं है बल्कि यह एक मानवीय मामला भी है। यादव चाहते थे कि सरकार तुरंत ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब करे और वहां हो रही ऐसी अमानवीय वारदात के लिए क्षोभ व्यक्त करें। पाकिस्तान में हिन्दू महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का मामला उठाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने पाकिस्तान से भाग कर आए 400 परिवारों की स्थिति पर सरकार से बयान देने की मांग भी की थी। अपने संबोधन में श्री जोशी ने यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में युवा महिलाओं का अपहरण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इस संबंध में डॉ. जोशी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुए मामले का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि वहां एक महीने में औसतन 25 महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब इन पीड़ित लोगों को स्थानीय अदालतों से थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो इन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगती हैं। डर के इसी माहौल से तंग आकर पाकिस्तान के 400 प्रभावित हिन्दू परिवार भारत आ गए हैं। वहां मानवाधिकारों का और उनके सांस्कृतिक अधिकारों का बुरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है।

निष्क्रियता का माहौल

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की दुर्गति को लेकर पश्चिमी देशों और भारत की ओर से कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इस संबंध में एक जिज्ञासा का जवाब देते हुए भारत के तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में बस यही कहा था कि इस मामले पर विस्तार से कुछ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही सरकार कोई बयान देगी। इस सवाल पर विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने राज्यसभा में यह कहा कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी निभाए, इसमें अल्पसंख्यक नागरिकों की परेशानी का सवाल भी शामिल है। उनके मुताबिक 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते में इस बात पर रजामंदी हुई थी कि दोनों ही देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के बिखरने की खबरें आने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस मसले पर बातचीत की है।

अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान के हिन्दुओं में असुरक्षा की भावना फैलने और बड़े पैमाने पर सिंध और बलूचिस्तान से उनके पलायन की खबरें आने के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इतना भर किया कि तीन लोगों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी के सदस्य हैं—सीनेटर हरिराम, राष्ट्रीय एसेंबली के सदस्य

लालचंद और कानून मंत्री मौला बख्स चंडेव। यह कमेटी और कुछ करे या न करे, सरकार की तरफ से भयभीत हिन्दुओं के पक्ष में खड़ी जरूर दिखाई देगी। ताकि उनमें सुरक्षा की भावना बनी रहे।

11 अगस्त 1912 को अल्पसंख्यक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कहा था, "हमारे धर्म और हमारे संविधान में नागरिकों के अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित रखने के जो प्रावधान बनाए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम अपने समाज के सभी लोगों की हिफाजत करने के अपने दायित्व से अलग नहीं हो सकते। चाहे वे लोग किसी भी धर्म या संप्रदाय के अनुयायी क्यों न हों।" उन्होंने सिंध प्रांत के अधिकारियों से वहां के अल्पसंख्यकों के दिमाग से असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

राष्ट्रपति जरदारी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ समय–समय पर होने वाली हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा भी की है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति जरदारी ने पैगम्बर मोहम्मद पर बनी एक विवादास्पद फिल्म के विरोध में गिरजाघर में हुई आगजनी की घटना को निंदनीय बताया।

अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, "इस्लाम विरोधी और उत्तेजक फिल्म की पाकिस्तान के साथ ही दुनिया भर में निंदा की गई। मुसलमानों के साथ ही गैर मुसलमान भी फिल्म की निंदा करने के मामले में किसी से पीछे नहीं रहे। पर सार्वजनिक स्थल और किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वह भी किसी धार्मिक स्थल को अपने आप में गैर इस्लामिक और पूरी तरह से निंदनीय मामला है।" उन्होंने कहा कि ऐसे गैर इस्लामिक कृत्य उन्हीं लोगों के उकसाने पर हो सकते हैं जो घृणा फैलाने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं, यह इस्लाम के उन बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, जिनमें सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है। उन्होंने कहा कि इन हालात में गिरजाघर पर हमले जैसी घटनाएं पाकिस्तान और मुस्लिम तबके का नकारात्मक पहलू ही पेश करती हैं।[40]

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में पाकिस्तान की नीति मामले को हल्का करने और इसका दोष दूसरों पर मढ़ने की ही रही है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर भारत की तरफ हो रहे अल्पसंख्यकों के पलायन को लेकर वहां के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक का यह कहना था कि ये सब भारत की एक साजिश है। उन्होंने यह मांग भी की कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारत जाने के लिए वीसा क्यों जारी किए? उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रधान द्वारा उपलब्ध कराई गई एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जाने वाले हिन्दुओं ने पाकिस्तान छोड़ने से पहले लिखित में यह कहा था कि वह भारत जाकर धार्मिक स्थलों का दौरा करना चाहते हैं और वे स्थायी रूप से भारत नहीं जा रहे हैं।

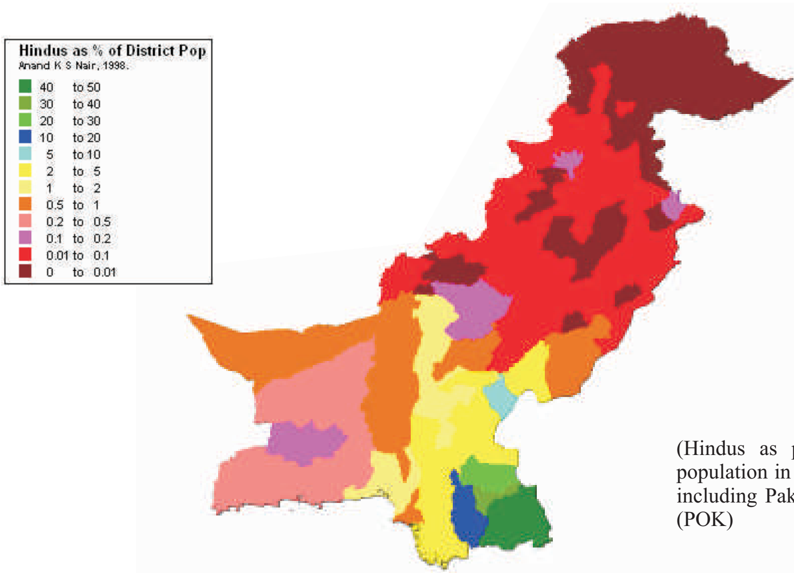

(Hindus as percentage of total population in districts of Pakistan including Pak Occupied Kashmir (POK)

Source: http://www.pakistanhinducouncil.org/hindupopulation.asp

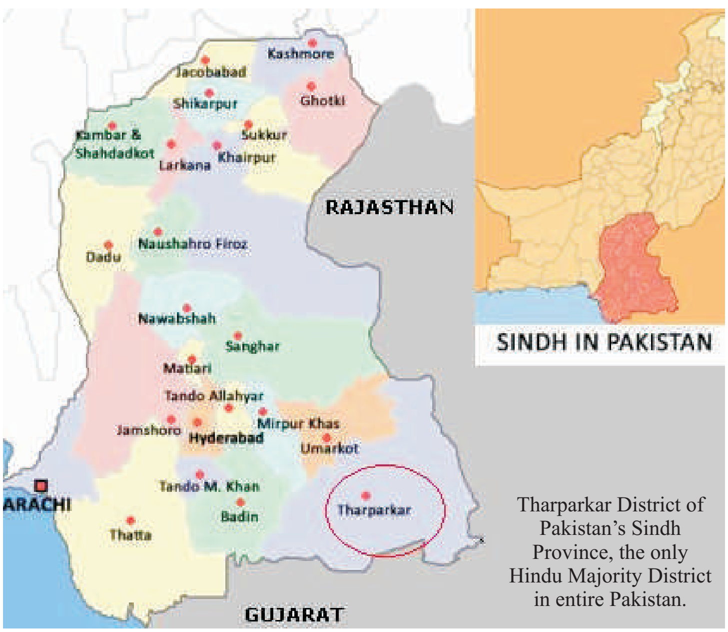

Tharparkar District of Pakistan's Sindh Province, the only Hindu Majority District in entire Pakistan.

अध्याय–चार

लोकतांत्रिक सरकारों की घातक नीति

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सरकारों ने अपनी दीर्घकालीन नीति को लागू करने की अभी तक घोषणा नहीं की है। पाकिस्तान के स्वयंभू कट्टरपंथी इस्लामी संगठन और नेता न केवल अपने नागरिकों के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के शांतिप्रिय नागरिकों और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक देशों के लिए भी ये पाकिस्तानी संगठन बड़ा खतरा बन गए हैं। अमेरिका और भारत, पाकिस्तान के इस धार्मिक उन्माद के चलते अब तक काफी कुछ नुकसान उठा चुके हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूरोप और अमेरिका में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ रहा है। चाहे ये मामले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए आतंकी हमलों के हों या 1993 में इससे पहले होने वाले आतंकी हादसे ही क्यों न हों। टाइम स्क्वायर के इडियट बॉम्बर जैसे हादसों में शामिल लोगों समेत ऐसे सभी मामलों में आरोपियों के फिंगर प्रिंट पाकिस्तानी पाए गए हैं।

पश्चिम के लिए खतरा इस्लामवादी

अगर वाशिंगटन और दुनिया की दूसरी लोकतांत्रिक राजधानियां पाकिस्तान के प्रतिक्रियावादी आतंक को समय से रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पातीं तो अमेरिका और दूसरे लोकतांत्रिक देशों को भविष्य में ऐसी और आतंकी हमलों के लिए अपने–आपको तैयार रखना होगा। पाकिस्तान में आज भी इस्लाम के स्वयंभू नेता काफी सक्रिय हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2002 में वर्जीनिया की एक अदालत ने सीआईए कर्मी के एक हत्यारे कांसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ था? अदालत का फैसला आने के एक दिन बाद ही चार अमेरिकी पाकिस्तान की सड़कों पर मार डाले गए थे। अमेरिकी कमांडो के हाथों मारे गए बिन लादेन की हत्या के बाद से कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों की हिंसक वारदातों में और इजाफा हुआ है। परोक्ष रूप से इन प्रतिक्रियावादी इस्लामिक तत्वों को उनकी गतिविधियों में पाकिस्तान प्रशासन का भी परोक्ष समर्थन मिलता रहा है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि 2002 में फांसी की सजा के बाद हुए कांसी के अंतिम संस्कार में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। ये सारी रस्म उसके गृह नगर क्वेटा में संपन्न हुई थीं।

मूल्य आधारित अमेरिकी कूटनीति की जरूरत

अब समय आ गया है कि अमेरिका अपनी पुरानी कूटनीति का परित्याग कर एक ऐसी और नई कूटनीति तैयार करे जो अमेरिका के बुनियादी हितों और मूल्यों को चुनौती देने वाले हमलों की रोकथाम कर सकें।[41]

अजीब बात है कि पाकिस्तान के शासकों ने कभी भी लोकतंत्र की हिमायत नहीं की और उनका हमेशा ही एक छिपा हुआ एजेंडा रहा है। फिर भी तमाम लोकतांत्रिक सरकारों की पाकिस्तान के प्रति नीतियां मित्रवत ही रही हैं। कारण चाहे जो रहे हों। यह सिलसिला आज भी उसी तरह जारी है। इस बाबत मुख्य कारण यही बताया जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी आर्थिक और सैन्य सहायता निर्विवाद रूप से उपलब्ध कराता रहा है। अगर ऐसा न हो तो पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में पूरी तरह अफरा–तफरी का माहौल बन जाएगा और वहां की कमान पूरी तरह पृथकतावादी इस्लामी संगठनों के हाथों में आ जाएगी।[42]

अमेरिकी सरकार का नया तर्क समझ से बाहर लगता है। पाकिस्तान में हमेशा ही प्रतिक्रियावादी ताकतों का कब्जा रहा है। जिसका असर वहां के सभी संस्थानों पर साफ दिखाई देता है चाहे वह पाकिस्तानी सेना हो या फिर सरकार। इस संदर्भ में सेना और धार्मिक संगठनों के मुखियाओं के बीच एक ऐसी मिलीभगत दिखाई देती है जो पाकिस्तान के नागरिकों को आजादी और लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार से वंचित रखने का काम करती है। इसके अलावा वहाबी/देवबंदी इस्लामिक तबकों ने भी पाकिस्तानी सैन्य बलों और गुप्तचर एजेंसियों में भी घुसपैठ कर उन्हें प्रतिक्रियावादी, अलोकतांत्रिक और अमानवीय बना दिया है। इन ताकतों का यह एजेंडा घर और विदेश दोनों ही स्तरों पर प्रभावशाली तरीके से काम करते हुए दिखाई भी देता है। पाकिस्तान के शासक किसी भी कीमत पर वाशिंगटन को प्रतिक्रियावादी इस्लामिक ताकतों की हिंसा के खिलाफ किए जाने वाले उनके युद्ध में समर्थन करने को तैयार नहीं दिखाई देते। ओसामा बिन लादेन के मामले में यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है। मारे जाने के कई साल पहले से ओसामा पाकिस्तान में रह रहा था और वहां के प्रतिक्रियावादी इस्लामी संगठनों के साथ ही पाकिस्तान की सेना और सरकार का भी उसे पूरा समर्थन मिल रहा था। यही नहीं, ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक टुकड़ियों की अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र से विदाई होने के समय अफगानी तालिबानों को मदद दे सकती है।

इस्लामाबाद के मौजूदा चरित्र को देखते हुए वाशिंगटन अगर चाहे तो पाकिस्तान पर यह दबाव बना सकता है कि वह नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की बहाली को लेकर प्रतिक्रियावादी इस्लामी ताकतों के साथ अपने संबंध खत्म कर ले। ऐसे मसलों पर इस्लामाबाद के साथ चर्चा करने के दौर में अमेरिका पाकिस्तान से इस तरह का वादा लेने की कोशिश भी जरूर करे कि पाकिस्तान अधिकृत रूप से किए गए अपने वादों पर कायम रहे। यमन में अभी हाल में ही किए गए एक प्रयोग से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अगर पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका की मदद से इस्लामी आतंकवादियों से मुक्ति पाना चाहे तो उसकी राह बहुत आसान हो सकती है। यमन में एक ऐसा ही कारगर उदाहरण देखने को मिला है। जब अमेरिका की मदद से वहां की सरकार ने आतंकी हमले में सफलता हासिल की।[43] यमन के इसी उदाहरण को पाकिस्तान में दोहराने के लिए उस पर दबाव बनाया जा सकता है।

वुडरो विल्सन की नीतियों को लागू करने का उचित समय

मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में वाशिंगटन को चाहिए कि वह वुडरो विल्सन के 14सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में पहल करे और इस लिहाज से उसे वह सब कुछ करना चाहिए जो वह अमेरिका और पाकिस्तान दोनों देशों के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कर सकता है। अमेरिका को अपने पूर्व राष्ट्रपति आईजन हावर की उस प्रतिबद्धता को भी पूरा करना चाहिए, जिसमें उन्होंने संपूर्ण मुक्त विश्व की सुरक्षा करने की बात कही थी। 10 जनवरी 1957 को अपने राज्य की एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति आईजन हावर ने यह घोषणा की थी, "सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि अमेरिका के हित बहुत व्यापक और वैश्विक हैं। उसे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों और सभी महाद्वीपों का आलिंगन करना है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक ऐसा समुदाय है जिसके, मुक्त विश्व के सभी देशों के साथ हित जुड़े हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले हितों के लिए सभी लोगों का एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सम्मान करना और सभी लोगों के लिए शांति की स्थापना करना नितांत जरूरी है।"[44]

इस संबंध में वाशिंगटन बहुत ही शालीन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी के लिए स्थापित अमेरिकी आयोग की सिफारिशों पर अमल कर सकता है। आयोग ने यह निष्कर्ष दिया था कि दक्षिण एशिया में धार्मिक आजादी का सम्मान या विश्वास अमेरिका की रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है। पाकिस्तान में हिंसक धार्मिक आतंकवादियों के साथ हो रहा विवाद अमेरिका के लिए आज के समय इस बात की जरूरत बन गया है कि वह इस तथ्य को समझे और गंभीरता से विचार कर अपनी नीतियों का निचले स्तर तक प्रसार करे। इसका सीधा असर यह होगा कि जहां एक ओर आतंकवादी ताकतें पिछड़ेंगी वहीं दूसरी ओर समाज के उस तबके का हौसला बुलंद होगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों का, भूमि के कानून का और मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों समेत धार्मिक आजादी या विश्वास का सम्मान करता है।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि अब अमेरिका को पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना होगा। अब अमेरिका के सामने ऐसा कोई बंधन नहीं है जो शीत युद्ध के दौरान था जिससे वह पाकिस्तान के अलोकतांत्रिक और मानवाधिकार हनन मामलों की अनदेखी करता चले। इस बात के पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं कि शीत युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ इसलिए नहीं दिया था, क्योंकि वह वामपंथ के खिलाफ था। हेनरी किसिंजर ने अपने एक अध्ययन में अमेरिका को यह पहले ही समझा दिया है कि वाशिंगटन यह अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान को असली खतरा सोवियत संघ से नहीं बल्कि भारत से था।[45] यह पता होने के बावजूद अमेरिका ने अपनी कम्युनिस्ट विरोधी मुहिम में पाकिस्तान को एक रणनीति के तहत हिस्सेदार बनाया था और उसका इस्तेमाल किया था। 1956 में अमेरिकी प्रशासन ने यह घोषणा तक कर दी थी कि बगदाद समझौते के अनुरूप सदस्य राष्ट्र देशों के बीच किसी भी तरह के सीमा विवाद या राजनीतिक आजादी के मामलों को अमेरिका बड़ी गंभीरता के साथ देखेगा।[46] बाद में अमेरिका को

पाकिस्तान द्वारा तब उसके द्वारा तत्कालीन पूर्वी हिस्से में की जा रही गतिविधियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए था जो अब बांग्लादेश कहलाता है। इस मामले में वाशिंगटन को इस्लामाबाद की जरूरत एक लचीले चैनल[47] के रूप में हो सकती थी या फिर इस्लामाबाद चीन के साथ संबंधों को लेकर एक मध्यस्थ[48] की भूमिका अदा कर सकता था।

वैश्विक यथार्थवादी भारतीय कूटनीति

इस संदर्भ में नई दिल्ली (भारत) को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे हर संभव प्रयास करने होंगे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने विभाजन की त्रासदी और तकलीफों को बेहतरीन तरीके से बयान किया है। एक आशावादी होने के नाते उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा।[49] पर दुर्भाग्य से पाकिस्तान से आनेवाली ट्रेन कभी रूकी नहीं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना ही होगा और इस संबंध में भारत को हर तरह के कदम उठाने होंगे। पंजाब के खन्ना, राजपुरा और दूसरे हिस्सों में आकर रह रहे अनेक परिवार भारत की नागरिकता लेने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आतंक की जो स्थिति बनी है उसमें एक सामान्य नागरिक जी नहीं सकता। कई सालों से भारत में रहने के बावजूद भारत सरकार उनको नागरिकता देने संबंधी उनकी मांग पर अभी कोई फैसला नहीं ले सकी है। उन्हें साल दर साल भारत में रहने के लिए वीजा बनवाना पड़ता है। 2007 में इन लोगों ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन पंजाब सरकार के गृह और न्याय मंत्रालय को अग्रसारित कर दिए गए। वहां से इन्हें केंद्रीय गृहमंत्रालय के सचिव के पास भिजवा दिया गया। यह प्रक्रिया भी 26 मई 2010 को पूरी हो गई थी। अनेक पाकिस्तानी हिन्दू परिवारों ने अपनी परेशानियों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी अनुरोध किया। ये सारे मामले जितनी जल्दी हो सके, निपटाने चाहिए। नागरिक अधिकारों की अनुपस्थिति में इन लोगों को रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी ही दूसरी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अनुच्छेद 11 के तहत संसद उनको नागरिकता देने संबंधी उनकी मांग पर फैसला ले सकती है। संविधान के दूसरे अनुच्छेदों में भी ऐसी व्यवस्था है। संविधान के छठे अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में यह व्यवस्था है कि भारतीय मूल के जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं उन्हें कैसे नागरिकता दी जा सकती है। इन संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में भारत सरकार पाकिस्तान से आए लोगों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता दे सकती है।

पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को मदद करने के संदर्भ में भारत सरकार को यथार्थवादी होना पड़ेगा और यह जानने की कोशिश करनी होगी कि इन लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में

पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों या फौजी तानाशाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सभी एक समान पंखों वाली चिड़ियाएं हैं और इनके साथ भरोसे वाली बात संभव नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया का एक तबका भी इन ताकतों के साथ मिला हुआ है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया का यह तबका बराबर यही बात कहता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक–ठाक है और वहां किसी तरह के मानवाधिकारों का हनन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए साल 2012 के दौरान रमजान के पवित्र महीने के मौके पर एक टेलीविजन प्रोग्राम 'रमजान की शान' में एक नौजवान हिन्दू व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करते हुए दिखाया गया था। शो के दौरान एक मौलवी ने उस व्यक्ति से यह पूछा कि वह धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता है? उस व्यक्ति ने अपने जवाब में कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक मानवाधिकार स्वयंसेवी संगठन में काम करते हुए वह पिछले दो साल से रमजान के दौरान रोजे रखता आया है। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने धर्मांतरण के संकेत के रूप में प्रार्थना की और दर्शकों से प्रसन्नता बटोरी। पाकिस्तान में मीडिया इस तरह के अल्पसंख्यक विरोधी प्रस्तोता और एंकर को प्रोत्साहन देता है। इस तरह का मीडिया प्रगतिशील तबकों को अपने विचार प्रस्तुत करने से दूर रखता है। वहां के एक चैनल ने हाल में ही फिल्म एक्ट्रेस वीना मलिक का कार्यक्रम इसलिए रद्द कर दिया, क्योंकि वह मौलवियों से तर्क करने के मामले में प्रसिद्ध है।[50]

हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान में इस्लामी आतंकवादियों का खौफ इस कदर बढ़ा है कि उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा दु:साहस करता भी है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी हिन्दू समुदाय के नेता सुधम चंद चावला के साथ क्या हुआ था। उन्होंने 2002 में पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार का एक कानूनी मामला बड़ी सफलता से जीता था। इस फैसले के तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के वोटिंग राइट्स को बहाल किया था। इस काम में कई मुस्लिम संगठनों ने भी उनकी मदद की थी। लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी हत्या कर दी गई। यह भी याद रखना चाहिए कि उस देश में ऐसी ही खुली सोच के और दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक किया गया। लेखक जावेद अहमद घामिदी को इसलिए पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम को लेकर की गई आतंकवादियों की व्याख्या को स्वीकार नहीं की थी उनके करीबी फारूख खान को भी आतंकवादियों की आलोचना के चलते शहीद होना पड़ा। पंजाब के राज्यपाल सलमान तशीर और संघीय मंत्री शाहबाज भट्टी भी इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने ईश निंदा कानून के तहत आरोपी बनाए गए गैर मुस्लिम लोगों की पैरवी करने की बात कही थी। राज्यपाल का दोष यही था कि उन्होंने पाकिस्तान के ईश निंदा कानून पर सवाल उठाए थे और इस आरोप में बेवजह दोषी करार दी गई एक ईसाई मां का केस लड़ने की पैरवी की थी। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का समर्थन करने की सजा वहां के न्यायाधीशों को भी झेलनी पड़ती है और इसकी भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ती है। वहां का कोई भी जज मुल्लाओं की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। याद रहे कि सैयद परवेज़ अली शाह जैसे पाकिस्तान के एक न्यायाधीश के साथ क्या हुआ था।

उनका दोष यही था कि उन्होंने पंजाब के राज्यपाल सलमान तशीर के हत्यारे को सजा मुकर्रर की थी। इस घटना के बाद वहां की सरकार को उनके लिए एक ऐसे देश की खोज करनी पड़ी जहां वे निर्वासित जीवन बीता सकें। चूंकि पंजाब के राज्यपाल के हत्यारे को वहां के इस्लामिक गुरुओं ने हजरत की उपाधि दी थी। इसलिए उसको आरोपी बनाना जस्टिस सैयद परवेज के लिए भारी पड़ गया। यहां जान लेना चाहिए कि हजरत का मतलब होता है सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति या एक पवित्र आत्मा।

एक प्रभावशाली वैश्विक कूटनीति की जरूरत

वहाबी–देवबंदी धारा के मौलवियों से दुनिया की तमाम सभ्यता को खतरा है। इसलिए भारत से एक ऐसी कूटनीति की दरकार पूरे विश्व को है जो मजबूत भी हो और प्रभावशाली भी। भारत के साथ ही विश्व के सभी प्रमुख लोकतांत्रिक देशों को भी इस मामले में आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान से कट्टरपंथी इस्लामी आतंक को भगाने में एकजुटता दिखाते हुए एक यथार्थ और वैश्विक कूटनीति तैयार करनी होगी और इसमें अमेरिका की भागीदारी भी सक्रिय और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस बाबत अब तक अपनाई गई परंपरागत शैली में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का भला तो कम किया है, बुरा ज्यादा किया है। लिहाजा अब वक्त आ गया है एक ऐसी नीति तैयार करने का, जो निर्णायक परिणाम तक पहुंच सके। विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर मंडरा रहे प्रतिक्रियावादी इस्लामी संगठनों के डर को हमेशा के लिए दूर कर दे। इन सबको मिलकर उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो धार्मिक तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश करने और सत्ता में बने रहने के लिए मुस्लिम आतंकवाद का सहारा लेने से चूक नहीं करते। इन सबको मिलकर पाकिस्तान के शासकों पर यह दबाव भी बनाना होगा कि अगर वे वहां के अल्पसंख्यकों का दमन करना बंद नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया के देश सभ्य देशों के समुदाय में पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा देने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं।

लोकतांत्रिक देशों को अब इस मामले में और विलंब नहीं करना चाहिए। अल्पसंख्यक, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश के क्यों न हों, सभी इस इंतेजार में हैं कि वैश्विक ताकतें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे दमन के खिलाफ हस्तक्षेप करेंगी। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह अमानवीय होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए मानवाधिकार मूल्यों का हनन भी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ चाहे वह दुनिया के किसी भी देश में क्यों न हों मानवाधिकार हनन की इसी अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आती है।

दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को यह अच्छी तरह समझना होगा कि जो लोग घृणा और हिंसा का उपयोग बीमारी के मूल कारण को खत्म करने के लिए करते हैं, वे इंसानियत से कोसों दूर होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के मौजूदा संदर्भ को देखते हुए विश्व की सभी लोकतांत्रिक ताकतों को यह ख्याल में रखना होगा कि पाकिस्तान में मदद के काम को अब बिना किसी विलंब के तुरंत शुरू करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस्लामिक आतंकवाद पहले से ज्यादा बढ़–चढ़कर बोलेगा। क्योंकि सामाजिकता के

संदर्भ में आतंकवाद और आतंक की भाषा एकदम भिन्न होती हैं। अल्जीरिया के एक आतंकवादी अली बेहाज़ ने आतंक की परिभाषा को कुछ इस तरह व्यक्त किया है।

"अगर कोई धर्म या विश्वास सींचा हुआ न हो और उसमें खून न हो तो वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसा विश्वास जिन्दा नहीं रहता। सिद्धांत त्याग से दोबारा सक्रिय होते हैं। आत्महत्या और शहीदीपन धर्मों और विश्वासों की भावना को आगे तक संचालित करता है......धर्म का प्रचार हर रोज होने वाली मृत्यु की गणना से किया जाता है। नरसंहार और घरों को फूंककर मृतकों की बड़ी संख्या की गणना में वृद्धि की जा सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति जिसने त्याग किया है, वह अब वहां नहीं है। वह जीत गया।[51] सभी स्वयंभू इस्लामिक आतंकवादियों का एजेंडा भी कमोबेश एक जैसा ही होता है।[52]

अध्याय–पांच

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति को रोकने के संदर्भ में सार–टिप्पणी

अब तक किए गए अध्ययन से यह बात एकदम साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में स्थानीय नागरिकों और खासतौर पर अल्पसंख्यकों के साथ दमन और दुर्गति की जो परिणति हुई है, उसके लिए वहां बढ़ते प्रतिक्रियावादी इस्लामिक आतंक और उनको अब तक की सरकारों द्वारा दिया गया मूक समर्थन ही मुख्य कारण है। अपने राजनीतिक हितों के लिए इन सरकारों ने अब तक इन प्रतिक्रियावादी ताकतों के सामने आत्मसमर्पण ही किया है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के एक दशक बाद भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा थाः

“भारत ने 1947 में अपनी आजादी पायी पर अपनी एकता खो दी। पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। मुस्लिम लीग की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। लीग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। उन्होंने न कोई त्याग किया था और न संघर्ष के किसी भी तरह के अनुशासन में वो बंधे रहे। उनमें से ज्यादातर या तो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे या ऐसे लोग थे जो ब्रिटेन के संरक्षण में राजनीति में लाए गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब नए राज्य का उदय हुआ, सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई, जिनके पास सेवा या त्याग का कोई अतीत नहीं रहा था। नए राज्य के ज्यादातर शासक स्वार्थी लोग थे, जो केवल निजी हितों के पूर्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में आए थे। नए राज्य (देश) के ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और बंबई से आए थे। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे भी थे जो उन क्षेत्रों की भाषाओं को नहीं जानते, जिनको मिलाकर नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। नए राज्य में शासकों और शासितों के बीच चौड़ी खाई थी। इन स्वयंभू नेताओं को यह डर सताता रहता था कि अगर वहां मुक्त चुनाव करवाए गए तो उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए जीतना मुश्किल ही होगा। इसलिए एक निश्चित उद्देश्य के तहत ये लोग हमेशा चुनाव टालते रहे और जहां तक हो सकता था, उस देश में अपने भाग्य और अपनी शक्ति का विकास किया। दस साल बीत गए हैं और अभी हाल ही में एक संविधान तैयार हुआ है। ऐसा लगता है कि यह भी अंतिम नहीं है, क्योंकि वहां हर छोटी बड़ी बात और प्रस्ताव के लिए संविधान में कभी भी, कोई भी बदलाव संभावित है।”[53]

तब से आजतक ये स्थितियां बदली नहीं हैं। परिणामस्वरूप वहाबी–सलाफी मान्यता की देवबंदी सुन्नी इस्लामिक धारा ने पाकिस्तान राज्य में कामकाज का एक नया एजेंडा तैयार कर दिया। जिसके तहत एक लम्बे समय से अल्पसंख्यकों के क्रूर दमन का सिलसिला शुरू हो गया। इन वर्षों में बड़े पैमाने पर इस्लामिक धार्मिक संस्थानों की ओर से प्रतिक्रियावादी मदरसों की बाढ़ सी आ गई और कराची, लाहौर, क्वेटा और इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इन मदरसों के जरिए आने वाली नस्ल के बच्चों के मन में दूसरी जातियों, धर्मों और संप्रदायों के खिलाफ जहर घोलने का काम किया गया। पाकिस्तान के विभिन्न

प्रांतों के साथ ही केंद्र शासित आदिवासी क्षेत्र (फाटा) में भी प्रतिक्रियावादी इस्लामी शिक्षा के मदरसों की बाढ़ आ गई। देवबंद और अहले हदीस संगठनों द्वारा संचालित ऐसे ज्यादातर मदरसों में केवल घृणा का पाठ पढ़ाया जाता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की शिक्षा दी जाती है (धर्मनिरपेक्ष सरकारों के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम भी इन मदरसों के माध्यम से किया जाता है)[54]

कुछ देवबंदी इस्लामिक स्कूल शिया विरोधी समूहों को प्रोत्साहित करने के काम में लगे हैं, ऐसे संगठनों में लश्करे जहांग्वी जैसे संगठन खास हैं। तालिबान भी अपने आप को देवबंदी धारा का अनुयायी बताते हैं। अहले हदीस बड़े जोरदार तरीके से सशस्त्र जेहाद का समर्थन करता है। लश्करे तैयबा इसका अनुपालन करता है।[55] लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए इन संगठनों पर निर्भर वहां के राजनीतिक इनके खिलाफ कुछ कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के मलकंद डिविजन में समानान्तर रूप से इस्लामिक कोर्ट की स्थापना की स्वीकृति देकर वहां की सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने की एक मिसाल कायम की है।

उम्मीद की एक किरण : पाकिस्तान की प्रगतिशील ताकतें

ऐसा नहीं है कि इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया है। वहां अभी भी कुछ होने की उम्मीद की जा सकती है और इसके लिए पाकिस्तान के उस मूल संयुक्त संस्कृतिवादी व्यवस्था को धन्यवाद देने की जरूरत है, जिसने आजादी के बाद वहां पनपे राजनीतिक शासकों के समानान्तर राष्ट्र के विभिन्न स्तरों पर अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखी है। वहां का मीडिया, वहां की कानूनी बिरादरी, वहां की चमत्कृत कर देने वाली कला और संस्कृति कुछ थोड़े बहुत इतिहास का और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक ऐसी कौम है जो पाकिस्तान के धर्म निरपेक्ष और मानवीय पक्ष को बचाकर रखने की जद्दोजहद में लगी हुई है।[56]

पाकिस्तान का यह प्रगतिशील और पढ़ा लिखा तबका इस बात से पूरी तरह अवगत है कि आज पाकिस्तान जहां पहुंचा है उसके पीछे केवल धार्मिक अतिवाद ही एक मात्र कारण नहीं है बल्कि एक निश्चित तबके के राजनीतिक हित और आर्थिक आकांक्षा ने भी पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है,[57] पाकिस्तान के इस तबके को ऐसा लगता है कि वहां के हुक्मरानों को यह सब करने के लिए भारत के इतिहास को छिपाना और अविभाजित भारत के समृद्ध और संपन्न अतीत को छिपाना उनकी एक विवशता बन गई थी।[58] दुनिया के दूसरे देशों के प्रगतिशील तबके की तरह पाकिस्तान की यह प्रगतिशील ताकतें भी सामाजिक सहअस्तित्व और विकास के परंपरागत मूल्यों पर भरोसा करती हैं। ये लोग प्रतिक्रियावादी इस्लामिक एजेंडे का विरोध करते हैं और ऐसे इस्लामीकरण के तहत किए जाने वाले बहु–विवाह और बाल विवाह जैसी परंपराओं का विरोध भी करते हैं। इस्लाम की पाकिस्तान में प्रचलित अन्य कुरीतियां, जिनमें अपराधी को पत्थर से मार–मारकर मौत के कगार पर पहुंचाना और उनके हाथ–पैर तोड़ देना,

उनकी हत्या कर देना, उनके साथ और कई तरह की बदसलूकियां करना, महिलाओं को गुलाम समझना और गैर इस्लामिक हिन्दू, ईसाई, पारसी और दूसरे धर्मों के खिलाफ घृणा का प्रचार करना, सभी शामिल हैं, का वहां के प्रगतिशील लोग कदम–कदम पर विरोध करते हैं और मौका पड़ने पर इनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं।

पाकिस्तान का यह तबका पूरी तरह मुतमईन है कि इस्लाम के नाम पर वहां अभी जो कुछ हो रहा है वह वहां के मूल्यों के लिए भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। ये लोग यह भी मानते हैं कि भारत सरीखे पड़ोसी देशों की मदद के बगैर पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर काबू पाने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।[59] पाकिस्तान का प्रतिक्रियावादी तरीके से किए गए इस्लामीकरण का भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, इसके बावजूद पाकिस्तान एक नहीं रह सका और वहां का बंगाली समुदाय पाकिस्तानी हुक्मरानों की हां में हां मिलाने के बजाय पाकिस्तान से अलग होने में ही अपना भविष्य देखता रहा। इसी के परिणामस्वरूप 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वह बांग्लादेश के नाम से नए राष्ट्र के रूप में सामने आया। यदि वहां के शासकों और सहयोगी दलों की सोच का परंपरागत तरीका नहीं बदला तो यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान भविष्य में अपने पंजाबियों, सिंधियों, पठानों और बलूचों को भी बंगालियों की तरह एक न रख सके।

सुझाव

ऐसी आजाद और प्रगतिशील ताकतों को एक होना होगा ताकि लोकतंत्र और बहुलतावाद का फायदा उस देश को पहुंच सके उन लोगों को देश के उन शासकों को अलग–थलग करना होगा, जिन्होंने अपने निजी हितों के लिए पाकिस्तान को इस कगार तक पहुंचाया। यह लड़ाई आसान नहीं है और अकेले भी नहीं लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई में देश के अंदर और बाहर सभी तरह के सहयोग की जरूरत होगी। तभी इन ताकतों से लड़ाई जीती जा सकती है। अल्पसंख्यकों की आजादी भी इसी से जुड़ी हुई है और इसका जुड़ाव वैश्विक मानवतावाद से भी है। अगर वहाबी और देवबंदी धाराओं जैसी धर्मांध ताकतों को राजनीति और शासकों का परोक्ष समर्थन जारी रहता है तो इस देश को कलंक मुक्त होने से नहीं बचाया जा सकता।

सदियों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंग्टन ने चेतावनी दी थी; "अगर बोलने की आजादी छीन ली जाए तो मूक और बधिरों की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी कसाई के सामने लेटी हुई भेड़।" पाकिस्तान के पख्तुनखवा प्रांत में वहाबियों और पाक के प्रबंध तंत्र के बीच हुई जुगलबंदी ने तालिबानी तरीके का जो शासन बना दिया है उससे कुछ इसी तरह का आभास पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में भी होता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला युसूफ जई पर हाल ही में हुआ हमला वहां की प्रतिक्रियावादी और अंधविश्वासी धार्मिक ताकतों की एक और खीझ का ही नमूना है। मलाला को कट्टरपंथियों ने इसलिए गोली का निशाना बना दिया क्योंकि वह पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहती थी,।[60] पाकिस्तान के स्वात

इलाके में उन्मादियों का यह प्रदर्शन उस देश को कहां ले जाएगा कहा नहीं जा सकता। स्वात इलाका इस्लामाबाद के लिए फाटा (केंद्र शासित आदिवासी क्षेत्र) और उत्तरी तथा दक्षिणी वजीरीस्तान का प्रवेश मार्ग है।[61] यही से वहाबी–देवबंदी सरीखे कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों का पूरे पाकिस्तान में असर फैलता है।

सशस्त्र वहाबी समूहों द्वारा किए जाने वाले हिंसक हमलों को वहां के नागरिक और सैन्य प्रशासन की मदद मिलती है। इन हिंसक वारदातों को छिपाने के लिए स्थानीय प्रबंधन ने इस क्षेत्र को वहाबी राज्य का नाम दे रखा है।[62] इस्लाम के वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप आदर्श के नाम पर प्रतिक्रिया वादी इस्लामिक राजनीतिज्ञ स्थानीय स्तर पर होने वाले मुस्लिम लोक संगीत और स्थानीय सांस्कृतिक एकता को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पंजाब के पूर्व राज्यपाल सलमान तशीर, राजदूत शेरी रहमान, पत्रकार सलीम शहजाद और ऐसे ही दूसरे खुली सोच के लोगों के साथ भाग्य ने जो खेल खेला उससे यही पता चलता है कि उस देश में प्रतिक्रियावादी इस्लामी संगठनों की विचारधारा को न मानने वाले या इस विचारधारा का विरोध करने वाले लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है और ये संगठन इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अल्पसंख्यकों की बात छोड़ें, सूफी कहलाने वाले बरेलवी समुदाय के लोग जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 50 फीसदी हैं, को भी सरकार समर्थित अफगान–तालिबान और उनके देवबंदी सहयोगी अपने निशाने पर रखते हैं। 2006–07 और 2010 के दौरान तालिबान और उग्रवादी संगठन सिप्हेसाहिबा संगठनों ने गोली बारी की ऐसी अनेक घटनाओं में अपनी संलिप्तता जगजाहिर कर दी थी।[63]

इतिहास का सही पहलू

संयोग से पाकिस्तान में इतिहास सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। वहाबियों के सहयोगी देवबंदी घटक तब्लीगी जमात, अहले हदीस और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का देश के सामाजिक ताने–बाने में विशेष आधार नहीं है। पाकिस्तान (और भारत) में अहले सुन्नत वल जमात जैसे बरेलवी संगठन का किसी जमाने में बहुत बड़ा सामाजिक आधार हुआ करता था। पाकिस्तान में आम जन हमेशा ही इस्लामिक परंपराओं के काफी करीब रहा है। अविभाजित भारत में भी यह एक स्वस्थ परंपरा के रूप में देखा जाता था जिसके तहत इस्लाम को उसके भारतीय दार्शनिक और धार्मिक पहलू के रूप में एक अलग पहचान मिली हुई थी।[64] शायद यही कारण है कि देश के विभाजन और भारत की आजादी के समय हिन्दुस्तान की एक बड़ी मुस्लिम आबादी ने पाकिस्तान जाने के बजाय हिन्दुस्तान में रहना पसंद किया।[65]

जहां तक पाकिस्तान की आबादी के पढ़े–लिखे तबके का सवाल है, वे यह नहीं सोचते कि इस्लाम का जो प्रतिक्रियावादी स्वरूप वहां दिखाया, पढ़ाया और विचारा जा रहा है, वह सही है। एक से अधिक धार्मिक समुदायों अथवा संप्रदायों के बीच परस्पर सदभाव का जहां तक सवाल है इसके बारे में हमेशा ही एक

बुनियादी सोच यह भी रही है कि ऐसे सभी घटकों के बीच विचार को लेकर सहमति अवश्य बने। इसी आपसी सहमति से धार्मिक संगठनों के बीच नए और पुख्ता संबंध कायम होते हैं। चाहे यह मामला इस्लाम का हो या दूसरे किसी धर्म का। पाकिस्तान के जागरूक तबके इस सच्चाई से भी पूरी तरह वाकिफ हैं कि वहां भी आध्यात्मिक मार्गों और उनके अनुयायियों की संख्या अलग–अलग भी हो सकती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग चाहे जो हो, पर चिरंतन सत्य यही है कि शांति और सद्भाव से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ये तमाम धर्म और मत तो शांति और प्रसन्नता तक पहुंचने के प्रवेश द्वार भर हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि यह शरीर और आत्मा की एकता का प्रतीक है। इस वैचारिक विश्लेषण के बाद हम इस तथ्य तक पहुंच सकते हैं कि तमाम धार्मिक मत और संप्रदाय मौजूदा मानवीयता के अनेक रूपों में से एक रूप ही है।[66]

विश्वास का साहस

पाकिस्तान के प्रगतिशील बुद्धिजीवी वहां की प्रतिक्रियावादी ताकतों को हराने के लिए इस सामाजिक आधार का उपयोग कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी समाज में घृणा फैलाने वाले मानवता विरोधी हिंसक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग थोड़े बहुत ही होते हैं। भीड़ चाहे कहीं की हो वह बिना किसी प्रयास के सबकुछ अच्छा होते हुए देखना चाहती है। समाज में ऐसे तत्व भी होते हैं जो फासीवादी प्रवृत्तियों का साथ देते हैं अपने तात्कालिक, आर्थिक और दूसरे फायदों के लिए। पाकिस्तान के पढ़े–लिखे अभिजात्य तबके की भी यही स्थिति है और उसमें वहां का मीडिया भी शामिल है। अपने निजी हितों के लिए अलोकतांत्रिक और अमानवीय ताकतों का समर्थन करने, चुप्पी साधने या फिर कभी–कभी ऐसे संगठनों का साथ देने वाले लोगों की कहीं भी और कभी भी कमी नहीं रही है। याद रहे कि नाजी जर्मनी के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे और दुनिया के दूसरे हिस्सों में आज भी ऐसे लोग किसी न किसी रूप में अपना काम कर रहे हैं।

इस लिहाज से देखें तो आज पाकिस्तान भी अलग नहीं है। वहां के समाज में भी चाहे वह तबका बौद्धिक हो या मीडिया से जुड़ा हुआ इस तरह के तत्वों से भरा हुआ है जो अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए तरह–तरह के तरीकों से प्रतिक्रियावादी ताकतों की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष मदद कर रहा है।[67] हाल में ही पाकिस्तान के एक टीवी चैनल ने एक लड़के को इफ्तार से पहले धर्म परिवर्तन करते हुए दिखाया था। यहां इस कार्यक्रम के तहत एंकर धर्म परिवर्तन को लेकर जो वार्तालाप करता है उससे यह संदेश साफ जाता है कि वहां का मीडिया कैसे काम कर रहा है।[68]

लोकतंत्र में नागरिकों के दायित्व

पाकिस्तान में प्रगतिशील तबके के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है और खासकर भारत और अमेरिका की तो यह जिम्मेदारी बन जाती

है कि वह आगे बढ़कर पाकिस्तान के प्रगतिशील तबके के इस संघर्ष को अपना नैतिक और भौतिक सहयोग प्रदान करे। इस संबंध में कार्ल पॉपर ने सही कहा है :
"अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इतिहास आगे बढ़ रहा है, या यह कि हमको तो आगे बढ़ना ही है तो हम वैसी ही भूल करते हैं, जैसी भूल वे लोग करते हैं, जिनको लगता है कि इतिहास का एक मतलब है और उसे खोजा जा सकता है। लिहाजा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की प्रगति के लिए आगे बढ़ना ही होता है और यह बढ़ना एक तरह से उस काम का समापन ही होता है। उस अंत तक पहुंचना जिस अंत के बाद मनुष्य की शुरुआत होती है। इतिहास ऐसा नहीं कर सकता। केवल हम, मनुष्य यह कर सकते हैं। हम उन लोकतांत्रिक ताकतों को बचाकर रखते हुए और उन्हें मजबूत बनाकर ऐसा कर सकते हैं। जिन पर स्वतंत्रता निर्भर करती है और प्रगति की रफ्तार बढ़ती है और हम ऐसा करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगति हमारी चेतना में रहती है, हमारे प्रयासों में रहती है, हमारे खुले विचारों में रहती है और हमारे अंत में समाहित रहती है। पैगम्बरों (अवतारों) के रूप में अपनी पहचान बनाकर रखने से बेहतर यही होगा कि हम कुछ करना सीखें और जो हम कर सकते हैं वह करके दिखाएं और अपनी गलतियों को दूर करें। और जब हम यह इरादा त्याग देते हैं कि इतिहास की शक्ति हमारा पैमाना बनेगी, जब हम परेशान होना छोड़ देंगे, निश्चित ही इतिहास हमारे साथ न्याय करेगा और तब शायद एक दिन हम शक्ति को अपने कब्जे में रखने में सफल हो सकेंगे। इस तरीके से हम अपने संदर्भ में इतिहास की प्रमाणिकता प्रतिपादित कर पाएंगे।"[69]

आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि लोकतांत्रिक सरकारें जब पाकिस्तान के मामलों पर गौर करती हैं तब उनकी नजरें मानवाधिकार कार्यक्रमों के अलावा दूसरी ओर लगी रहती हैं। पाकिस्तान और दुनिया के अनेक देशों में प्रतिक्रियावाद के खिलाफ अनेक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मध्य–पूर्वी देशों में भी धार्मिक प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ ऐसे कई सफल आंदोलन हुए हैं। अनेक अवसरों पर अलग–अलग रूपों में सामने आए इन आंदोलनों ने प्रतिक्रियावादी ताकतों के उन घृणित मंसूबों को उजागर किया जिनको प्रतिक्रियावादी ताकतें अपना धार्मिक कार्य समझती रही हैं। चाहे वह मामला ईश निंदा के बहाने इस्लाम पर फिल्म बनाने का हो या कोई और। 1989 में ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमैनी ने ब्रिटिश लेखक सलमान रूश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। इसी तरह सन 2000 में सीरिया के उपन्यासकार हैदर हैदर के खिलाफ मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड संस्था ने अभियान चलाया था। 2004 में डच फिल्म निर्माता की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी, वह प्रतिक्रियावादियों के अनुसार महिलाओं के प्रति इस्लाम के दृष्टिकोण की आलोचना करती थी और 2005 में डेनिश कार्टून संकट हम सबके सामने था।[70] लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों ने इन फतवों जैसी गतिविधियों के विरोध में पनप रहे प्रगतिशील अभियानों को नजरअंदाज करने के साथ ही प्रतिक्रियावादी कृत्यों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

लोकतांत्रिक सरकारों के ऐसे नजरिए को देखते हुए पाकिस्तान के शासक न केवल बेफिक्र होकर अपने काम में लगे रहे बल्कि ऐसे शासकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया।

पुरस्कृत करने का ऐसा ही एक उदाहरण पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुने जाने के रूप में देखा जा सकता है। मानवीयता को लेकर इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को अपने देशों के शासकों का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए और उन पर ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए कि वे पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकें। जब तक लोकतांत्रिक देशों की सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, पाकिस्तान जैसे देश में मानवता इसी तरह प्रतिक्रियावादी ताकतों के निशाने पर बनी रहेगी। पश्चिम देशों के लोगों खास कर करदाताओं के आर्थिक सहयोग की बदौलत ये देश बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इन देशों के नागरिक अपनी सरकारों से यह कह सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान मानवीय अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होता, उसे इस किस्म की कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती। क्योंकि सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मानवाधिकार घोषणा–पत्र में हस्ताक्षर किए हैं। इसने रंग के आधार पर भेदभाव करने के किसी भी प्रकार के तौर–तरीकों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान को इसी सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों की भी पुष्टि कर देनी चाहिए। जिससे वह यह साबित कर सके कि पाकिस्तान में नागरिकों के सभी तरह के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी जिनमें जीने का अधिकार आजादी या धर्म, अभिव्यक्ति की आजादी समेत अनेक मानवाधिकार शामिल हैं। पाकिस्तान में अभी तक जिस तरह के हालात उभर कर सामने आ रहे हैं, वह वहां की कथित लोकतांत्रिक परंपरा के लिए संक्रमण काल की स्थिति का परिचय कराता है। हिंसक वारदात के लगातार चलने वाले सिलसिले ने वहां एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो कभी अरब स्प्रिंग के नाम से काहिरा से शुरू होकर बेनगाजी तक पहुंची थी। ऐसा पाकिस्तान के ही अनेक लोगों का मानना है।[71] पाकिस्तान के स्वयंभू इस्लामिक नेताओं की भी कमोबेश वैसी काली सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति है जिसके तहत उनकी काली योजनाएं बनती रहती हैं। उनको यह सिलसिला बंद करना होगा ताकि मौजूदा दौर में लोकतंत्र और बहुलतावाद को पर्याप्त स्थान मिल सके। 9/11 जैसे आतंकी हमलों ने यह दिखा दिया है कि लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को अब यह अहसास हो गया है कि लोकतांत्रिक देशों में प्रतिक्रियावादी और कट्टरपंथी धार्मिक तत्वों की हिंसक प्रवृत्तियां कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं।

महान अमेरिकी परंपरा

अमेरिका के नागरिकों को चाहिए कि वे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की परेशानियों पर विशेष ध्यान दें। इतिहास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अपने जन्म से ही लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। अपने अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांतों का विस्तार करते हुए अमेरिका ने पूरे विश्व में लोकतंत्र के विकास की दिशा में महान काम किया है। अमेरिका की जनता अपनी सरकार को वहां की महान परंपराओं की याद दिलाते हुए सरकार से यह अनुरोध कर सकती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्गति को रोकने की दिशा में वे कोई ठोस कार्रवाई जरूर करें। मध्य–पूर्व के कई देशों की तरह

पाकिस्तान का जन्म भी विल्सन के विचारों के आधार पर ही हुआ है जो सभी सम्प्रभु राष्ट्रों के बीच समानता की बात करता है लेकिन अपने नागरिकों की चिन्ता कुछ कम ही करता है। अमेरिका की जनता को अपनी सरकार को यह बता देना चाहिए कि यह सब स्वीकार्य नहीं है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि मई 2009 में कराए गए एक अध्ययन में पाकिस्तान की स्थितियों पर विचार और सहायता के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव सामने आया है। इस सुझाव के मुताबिक अमेरिका की सरकार को पाकिस्तान में नागरिक संगठनों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए भरपूर समर्थन देना होगा। इसके साथ ही इस सुझाव में पाकिस्तान को भी पब्लिक प्राइवेट सहयोग के आधार पर शैक्षिक नियामक एजेंसी गठित करने, सहिष्णुता और बहुलवाद के धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों की स्थापना करने, धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने और ईश निंदा जैसे कानूनों की व्यावहारिकता को परखने जैसे अनेक समाज सुधारक कार्यक्रम संचालित करने की सलाह भी दी गई है। अमेरिका की जनता अपनी सरकार को इस मामले में अविलम्ब कदम उठाने और इस बाबत गंभीरता से सोचने के लिए दबाव बना सकती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्ष परंपरा

भारत के नागरिक खासतौर पर इसकी मुस्लिम आबादी इस संबंध में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकती है। जिससे पाकिस्तान के लोगों का दुख मिट सके। अन्य दूसरे नागरिकों की तरह इस देश के मुस्लिमों ने भी आजादी और बहुलतावादी मूल्यों को अपार स्नेह दिया है और यही उनकी पहचान भी रही है। 1971 में जब पाकिस्तान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के अपने ही नागरिकों के अधिकारों का बुरी तरह दमन कर रहा था तब भारत के मुसलमानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 7 अप्रैल 1971 को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अकबर अली खान ने कहा था कि उनका धर्म शांति और भाई–चारे के लिए है। उन्होंने यह भी कहा था कि बंगाल में जो लोग आजादी और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन पर अत्याचार करना मानवीयता का अपमान है।[72] कश्मीर से कांग्रेस के एक अन्य सांसद सैयद हुसैन ने कहा था कि पाकिस्तान का जन्म जिन्ना ने घृणा के आधार पर किया था और अब यह देश लड़खड़ा रहा है। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह जिन्ना की 'टू नेशन थ्योरी' का ही मजाक उड़ा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया को भेजे एक पत्र में जफर फतह अली ने लिखा था, "भारत के मुस्लिमों के लिए यह एक ऐसा अवसर है जब वह गौरवशाली और प्रभावपूर्ण तरीके से पूर्वी बंगाल के लोगों को विभाजन के बाद बनी परिस्थितियों की याद दिलाते हुए आजादी की उनकी लड़ाई में उनका साथ देकर उन्हें विजयी बनाएं।[73] यह वही दौर है जब 200 से अधिक मुस्लिम पुरूषों, महिलाओं और बच्चों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास के सामने प्रदर्शन कर बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग की थी। 6 अगस्त 1971 को आयोजित इस प्रदर्शन का आयोजन तत्कालीन जनसंघ ने किया था। दिल्ली महानगर परिषद के एक पार्षद अनवर अली देहलवी ने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को दिया था। 12 अगस्त 1971 को 20 मुस्लिम

सांसदों ने विश्व के मुस्लिम देशों से बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग करने के साथ ही यह आवाज भी उठाई थी कि विश्व के सभ्य देश राष्ट्रपति याह्या खान के कुकृत्यों और इस्लाम विरोधी कारनामों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएं।[74] इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए यह कहा था कि याह्या के शासन ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जिससे पूरे उपमहाद्वीप की शांति को खतरा पैदा हो गया है।

भारत के मुस्लिम पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में जब वहां अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा हो। इसी तरह आगे बढ़कर विरोध दर्ज करें। अगर आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दमन के प्रति उदासीनता बरती गई या इसकी अनदेखी की गई तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब वहां समूची आबादी की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तानी धर्मांध इस्लामिक तत्वों के एजेंडे को देखकर ऐसा लगता है कि यह नकारात्मक सोच भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल सकती है। भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वह पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। दोनों देशों के लोगों के बीच युगों से आपसी सहयोग और भाईचारे का एक लम्बा इतिहास रहा है। दोनों का सांस्कृतिक माहौल एक जैसा है। इसी को 14वीं सदी के महान भारतीय कवि अमीर खुसरो ने कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया है,

"भारत का माहौल कितना रोमांचक है। भारत में जनजीवन का जो माहौल है उससे बेहतर शिक्षक और कोई नहीं हो सकता। अगर यहां कोई विदेशी आता है तो उसे कुछ नहीं कहना पड़ता क्योंकि यहां के लोग उस विदेशी को अपने जैसा समझते हैं। उसके साथ एक अच्छे मेजबान की तरह पेश आते हैं। दिल से बात करते हैं और उसको अपनी मुस्कान से फूल के खिलने की अदा जैसी प्रसन्नता भी देते हैं।"[75]

पर जैसा दुर्भाग्य दिखाई देता है पाकिस्तान के लोग संस्कृति के इस स्वरूप से वंचित ही रहेंगे। जिस तरह का जीवन भारत के लोग जी रहे हैं वैसी जिंदगी पाकिस्तान में संभव नहीं है। भारत की मुक्त और प्रगतिशील ताकतों को सीमा पार के अपने पड़ोसी की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे।

निष्कर्ष

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और नागरिकों को अधिकारों और आजादी से वंचित रखने की जो स्थितियां हैं वह मौजूदा वैश्विक राजनीति के तमाम स्थापित मूल्यों के खिलाफ है। इस समस्या की जड़ है वहाबी समुदाय की कट्टरपंथी इस्लामिक देवबंदी मुस्लिम संप्रदाय की धारा। सत्ता से चिपके रहने की लालसा में पाकिस्तान की अब तक की सभी सरकारें इन कट्टरपंथियों के सामने हथियार डाल चुकी है या फिर उन्होंने इसे मौन स्वीकृति देकर अपनी राजनीतिक रणनीति बना ली है। सामान्य रूप से विश्व समुदाय ने और खास कर अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकारों ने इस कुचक्र को तोड़ने में कुछ विशेष काम नहीं किया है। यह सही समय है कि जब पाकिस्तान की लोकतांत्रिक ताकतें और उनकी तरह की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकारें इस मामले में आगे बढ़कर ऐसा कुछ करें जिससे इस अलोकतांत्रिक, निरंकुश और अमानवीय प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि वह अल्पसंख्यकों समेत अपने सभी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करे। अगर उसे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी सदस्यता बरकरार रखनी है तो एक देश के रूप में अपने नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही का अहसास भी उसे कराना ही होगा। यह मानवता की पुकार है। किसी भी चैतन्य आत्मा को मरने नहीं दिया जा सकता।

संदर्भ

1. फरजाना शेख, मेकिंग सेन्स ऑफ पाकिस्तान (लंदन : फाउण्डेशन बुक्स, 2009) पृष्ठ 69
2. वही, पृष्ठ – 4
3. डेरेक ओ' ब्रायन, द पेंग्विन इंडिया रेफरेंस इयर बुक 2006 (नई दिल्ली : पेंग्विन बुक्स 2006) पृष्ठ – 402
4. देखें – जनगणना पाकिस्तान–1998
5. एन एस्टीमेट ऑफ पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल
6. हुमा यूसूफ, "साइलेंसिग पाकिस्तान्स माइनॉरिटीज", द न्यूयॉर्क टाइम्स, 23 जुलाई 2012
7. लीसा क्यूरटिस एंड हैदर एच. मलिक, "रिवाइविंग पाकिस्तान्स ट्रेडिशन्स टू फाइट एक्सट्रीमिज्म", बैंक ग्राउंडर 2268, द हैरिटेज फाउण्डेशन, वाशिंग्टन, मई 2009
8. आलिया मिर्जा, '2000 माइनॉरिटीज गर्ल्स कन्वर्टेड टू इस्लाम फोर्सिबली', डेली टाइम्स लाहौर, 5 सितंबर 2012
9. देखें–डेविड विनाल्ट, नोट्स फ्रॉम द फॉरच्यून–टेलिंग पैरट : इस्लाम एंड द स्ट्रगल फॉर रिलीजियस प्लूरलिज्म इन पाकिस्तान (शैफफील्ड : इक्वीनॉक्स, 2008)
10. मोहम्मद हनीफ, "हाउ टू कमिट ब्लासफेमी इन पाकिस्तान, द गार्जियन, 5 सितंबर 2012
11. सलमान मसूद, "पाकिस्तान्स ब्लासमेसी शिफ्ट्स एज क्लेरिक इज अरेस्टेड," द न्यूयॉक टाइम्स, 2 सितंबर 2012, सईद शाह, "पाकिस्तान मुस्लिम लीडर्स सपोर्ट क्रिश्चियन गर्ल एक्यूज्ड ऑफ इस्लामिक ब्लासफेमी," द गार्जियन लंदन, 28 अगस्त 2012
12. 'अ क्वैश्चन ऑफ फेथ : ए रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान' द जिन्ना इंस्टीट्यूट
13. "लाइफ ऑफ द मार्जिन्स", रिलीज बाइ द नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस (2012)
14. जी. पार्थसारथी "द फास्ट एंड स्टडी डिसेंट इन टू क्योस," द पॉयनियर, नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2012
15. वही
16. समन अताउर रहमान, "माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान", गेटस्टोन इंस्टीट्यूट, 16 नवंबर 2012
17. फरजाना शेख, नोट–1, पृष्ठ–6
18. वही, पृष्ठ–67
19. एम.जे. अकबर, टेंडर बाक्स (नई दिल्ली हार्पर कालिन्स, 2011), पृष्ठ– 288
20. वही, पृष्ठ– 246
21. वही, पृष्ठ– 253–256
22. बी. रमन, "बायोग्राफी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ : हिज पास्ट एंड प्रेजेंट," इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल स्टडीज, 1 जुलाई, 1999
23. शेख, नोट– 1, पृष्ठ–6
24. अकबर, नोट–17, पृष्ठ–259
25. यू.एस. कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट–2011
26. शेख, नोट– 1, पृष्ठ–104
27. क्यूरटिस एंड मलिक, नोट–7
28. अकबर, नोट–17, पृष्ठ–251
29. रमन, नोट–20
30. पार्थ सारथी, नोट– 13
31. शेख, नोट–1, पृष्ठ–68
32. वही, पृष्ठ–71
33. वही, पृष्ठ–70
34. अकबर, नोट–17, पृष्ठ–251
35. लीसा क्यूरटिस एंड हैदर एच. मलिक "रिवाइविंग पाकिस्तान्स प्लूरलिस्ट ट्रेडिसंस टू फाइट एक्सट्रीमिज्म," बैंक ग्राउंडर 2268, 'द हैरिटेज फाउंडेशन, वाशिंगटन, मई–2009
36. वही
37. वही
38. शेख, नोट–1, पृष्ठ–77
39. अनवर इकबाल, "यूएस सीनेटर्स अर्ज जरदारी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज," द डॉन, 5 सितंबर 2012
40. सैयद इरफान रजा, "प्रेजिडेन्ट टर्म्स अटैक ऑन मरदान चर्च अन–इस्लामिक," द डॉन, 24 सितंबर 2012

41. हैनरी ए किसिंजर, इज अमेरिका नीड ए फॉरेन पॉलिसी (लंदन : साइमन एंड शुस्टर, 2002) पृष्ठ–318
42. देखें–सेलिंग एस हैरीसन, “कश्मीर : फर्स्ट पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू पूल बैक,” द न्यूयॉक टाइम्स, 16 जून, 1999
43. बॉबी घोष, “द एंड ऑफ अल–कायदा,” टाइम वाशिंगटन, 17 सितंबर 2012, पृष्ठ– 17–23
44. हैनरी ए किसिंजर, ‘डिप्लोमैसी (न्यूयॉर्क : साइमन एंड शुस्टर, 1994) पृष्ठ–549
45. वही, पृष्ठ – 527
46. वही, पृष्ठ– 548
47. वही, पृष्ठ – 726
48. हैनरी ए किसिंजर, चाइना (लंदन : पेंग्विन, 2011), पृष्ठ–225–233
49. खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान (नई दिल्ली : रोली, 2006)
50. हुमा यूसूफ, “कन्वर्जन रेटिंग्स,” द न्यूयॉर्क टाइम्स, 8 अगस्त, 2012
51. पॉल बर्मन, टैरर एंड लिब्रेलिज्म, (न्यूयॉर्क : डब्ल्यू डब्ल्यू नार्टन, 2003), पृष्ठ–120
52. जैमी ग्लेजोव, यूनाइटेड इन हेट (लास एंजिल्सः डबल्यू एम. डी. बुक्स, 2009), पृष्ठ– 229
53. मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विन्स फ्रीडम (नई दिल्ली : ओरियेंट ब्लेक स्वान, 2011) पृष्ठ–246
54. क्यूरटिस एंड मलिक, नोट–7
55. वही
56. शेख, नोट–1, पृष्ठ– 209–10
57. हमजा अल्वी, ‘क्लास एंड स्टेट्स’ इन हसन गरदेजी एंड जमील राशिद, पाकिस्तान– द रूट्स ऑफ डिक्टेटरशिप : द पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ ए प्राएटोरियन स्टेट (लंदन : जेड प्रेस, 1983) पृष्ठ–44–93; एंड हिज एथिनीसिटी, मुस्लिम सोसाइटी एंड पाकिस्तान आइडियोलॉजी इन अनिता वैइस, मुस्लिम एसरसन इन पाकिस्तान (लाहौर : वैनगार्ड बुक्स, 1987), पृष्ठ– 21–47); आइसा जलाल, द स्पोकपर्सन : जिन्ना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान (कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, 1985); एंड स्टीफन कोहेन, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान (वाशिंगटन, डीसी : ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन प्रेस, 2004)
58. सलमान रूश्दी, शेम लंदन : जोनाथन केप, 1983, पृष्ठ–87
59. शेख, नोट–1, पृष्ठ–210
60. एम.जे. अकबर, “ए टू नेशन थ्योरी,” इंडिया टुडे, नई दिल्ली 5 नवंबर 2012
61. राज चेंगप्पा, “इन द बैड लैंड्स ऑफ पाकिस्तान ट्रबल रिटर्न्स,” द ट्रिब्यून चंडीगढ़ 14 अक्टूबर 2012
62. पार्थसारथी, नोट 13
63. वही
64. शेख, नोट–1, पृष्ठ–211
65. अमर्त्य सेन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन (लंदन : पेंग्विन बुक्स 2005) पृष्ठ–51
66. स्वामी हर्षनंदा, महाविष्णु एंड हिज वेरियस फॉर्म्स (बंगलौर : रामकृष्ण मठ, 2000) पृष्ठ–3
67. अताउर रहमान, नोट–69
68. हुमा यूसूफ, “कन्वर्जन रेटिंग्स”, द न्यूयार्क टाइम्स, 8 अगस्त 2012
69. कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनीमीज (लंदन एंड न्यूयॉर्क : रॉटलेज, 1945) खंड–2, पृष्ठ–308–09
70. जेम्स एंड डोर्से, “मिडिल ईस्टर्न रिस्पांसेस टू एंटी यू.एस. प्रोटेस्ट्स : साइन ऑफ हेल्दी चेंज?”, तेल अवीव नोट्स मोसे दायान सेंटर, खंड–6, क्रमांक 19, 10 अक्टूबर 2012
71. बॉबी घोष, “द राइज ऑफ सलाफिस,” टाइम, वाशिंगटन, पृष्ठ–41–45
72. ए अप्पादुरई, डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पालिसी (दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981), पृष्ठ–129
73. वही, पृष्ठ– 130
74. वही, पृष्ठ–132
75. माइकल वुड, द स्टोरी ऑफ इंडिया (लंदन : बीबीसी बुक्स, 2007), पृष्ठ–11

परिशिष्ट – I
पाकिस्तान की जनगणना
क्षेत्रवार आबादी*

प्रशासनिक ईकाई	मुस्लिम	ईसाई	हिन्दू	कादयानी	अनुसूचित जाति	प्रतिशत में
पाकिस्तान	96.28	1.59	1.60	0.22	0.25	0.07
ग्रामीण	96.49	1.10	1.80	0.18	0.34	0.08
शहरी	95.84	2.59	1.16	0.29	0.06	0.06
उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य	99.44	0.21	0.03	0.24	*	0.08
ग्रामीण	99.65	0.03	*	0.22	*	0.08
शहरी	98.42	1.06	0.11	0.31	0.01	0.09
केंद्र शासित आदिवासी क्षेत्र	99.6	0.07	0.03	0.21	0.03	0.07
ग्रामीण	99.63	0.04	0.03	0.21	0.03	0.07
शहरी	98.16	1.17	0.32	0.10	0.007	0.23
पंजाब	97.21	2.31	0.13	0.25	0.03	0.07
ग्रामीण	97.66	1.87	0.15	0.19	0.05	0.08
शहरी	96.25	3.27	0.06	0.37	0.02	0.03
सिंध	91.31	0.97	6.51	0.14	0.99	0.08
ग्रामीण	88.12	0.14	9.77	0.12	1.79	0.06
शहरी	94.67	1.84	3.08	0.17	0.14	0.10
बलूचिस्तान	98.75	0.40	0.49	0.15	0.10	0.10
ग्रामीण	99.42	0.06	0.15	0.14	0.12	0.10
शहरी	96.61	1.49	1.58	0.16	0.05	0.10
इस्लामाबाद	95.53	4.07	0.02	0.34	*	0.03
ग्रामीण	98.80	0.94	*	0.23	*	0.03
शहरी	93.83	5.70	0.03	0.40	*	0.03

* Refers to a very small proportion.
★ No Government Census Data has been generated after 1998. This is the latest Census Data available.
E-mail: Website:censuspak@yahoo.com http://www.census.gov.pk www.census.gov.pk/religion.htm

परिशिष्ट – II

पाकिस्तान के ईश निंदा कानून जस के तस

बीबीसी न्यूज दक्षिण एशिया (20 नवंबर 2012)

पाकिस्तान के ईश निंदा कानूनों के तहत इस्लाम का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड देने का प्रावधान है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। आलोचकों का मानना है कि इनका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता है।

अभी हाल के क्या विवाद है?

1974 से ही ये कानून विवाद का विषय बने रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में एक किशोरी रिम्सा का मामला सामने आया है जिसे पढ़ने में दिक्कत होती थी। रिम्सा को कथित तौर पर कुरान का अपमान करने का दोषी पाया गया। बाद में एक इमाम को झूठे प्रमाण जुटाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। ईश निंदा कानून के तहत पांच बच्चों की मां, एक ईसाई महिला एशिया बीबी का मामला भी सामने आया जिसे पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में नवंबर 2010 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी।
इसके बाद अगली जनवरी को कानून के एक प्रसिद्ध आलोचक पंजाब के राज्यपाल सलमान तशीर की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने पाकिस्तान में हत्या के पक्षधरों और विरोधियों के बीच वाकयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी। हत्या के समर्थकों ने सलमान तसीर के हत्यारों को हीरो बना दिया था।

मार्च 2011 में ईश निंदा कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अल्पसंख्यक ईसाई और वहां के धार्मिक मामलों के मंत्री शाहबाज भट्टी को इस्लामाबाद में सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था।

पाकिस्तान में ईश निंदा कानूनों की शुरुआत कहां से होती है?

सबसे पहले भारत के ब्रिटिश शासकों ने 1860 में ऐसी दंड संहिता तैयार की थी जिसका 1927 में विस्तार किया गया था। भारत के विभाजन के बाद 1947 में पाकिस्तान ने इसे मौलिक रूप में ही अपना लिया था। 1980 और 1986 के बीच तत्कालीन फौजी शासक जिया–उल हक के कार्यकाल में इन कानूनों में कुछ और प्रावधान जोड़े गए थे। जिया उल हक उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि अहमदी संप्रदाय को इस्लाम से अलग किया जाए। 1973 में उन्होंने इस संप्रदाय को पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी से कानूनन अलग कर दिया था।

ज्यादातर मामलों में वहां के ईसाई ही ईश निंदा कानूनों की गिरफ्त में आते हैं।

क्या कहते हैं ये कानून?

अंग्रेजों के समय में लागू ये कानून मोटे तौर पर सामान्य किस्म के हैं। इनके तहत उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है जो जान बूझकर उपासना के स्थलों में तोड़–फोड़ करते हैं या किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान और दुरूपयोग करते हैं या फिर किसी धार्मिक समागम या सम्मेलन में बाधा पहुंचाते हैं। इन कानूनों के तहत उन लोगों को भी दंड का भागीदार बनाया गया है जो कब्रगाहों में अतिक्रमण करने या किसी धार्मिक विश्वास का लिखित या मौखिक रूप में या उसको दृश्यांकन के जरिए गलत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इन कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति को 1 से 10 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है। जेल की सजा अर्थ दंड के साथ या अर्थ दंड के बगैर भी हो सकती है।

1980 की शुरुआत में पाकिस्तान की दंड संहिता के धार्मिक अपराधों से संबंधित अध्याय में कुछ घुमावदार उपबंध जोड़े गए थे। इन उपबंधों को दो समूहों में बांट कर देखा जा सकता है। एक अहमदिया संप्रदाय विरोधी कानून और दो ईश निंदा कानून।

अहमदिया संप्रदाय विरोधी कानून 1984 में जोड़े गए थे। इन कानूनों के तहत अहमदिया संप्रदाय के लोगों को मुस्लिम कहलाने या एक मुस्लिम की तरह आचरण करने का हक नहीं है। ये लोग अपने पंथ का उपदेश और प्रचार इस्लामी तौर तरीकों से नहीं कर सकते और न अपने उपासना स्थलों को मस्जिद जैसा दर्जा ही दे सकते हैं।

ईश निंदा कानून समय–समय पर कई किस्तों में बनाए गए और इनका विस्तार किया गया। 1980 में इन कानूनों में एक और उपबंध जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि इस्लाम के किसी महापुरूष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति तीन साल तक के लिए जेल की सजा का हकदार होगा।

1982 में जोड़े गए एक अन्य उपबंध के तहत यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान का दुराग्रह पूर्ण अपमान करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। 1986 में इस कानून में एक और उपबंध जोड़ कर इस्लाम के धार्मिक गुरु पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड देने की व्यवस्था की गई।

इन कानूनों का असर किस पर पड़ता है?

पाकिस्तान का एक स्वयंसेवी संगठन पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ईश निन्दा कानून संबंधी मामलों का दस्तावेजीकरण करता है। इसके मुताबिक इस कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों में सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है, दूसरा नंबर अहमदिया संप्रदाय के लोगों का है। आयोग के मुताबिक 1988 से अब तक कुरान का अपमान करने वाले लगभग एक हजार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जबकि ऐसे दर्ज 50 मामले पैगम्बर हजरत मोहम्मद का अपमान करने से ताल्लुक रखते हैं।

पाकिस्तान की निचली अदालतों ने ऐसे सैकड़ों मामलों को सजा योग्य पाया पर हाईकोर्ट ने प्रमाण के अभाव, प्रक्रिया में दोष पाए जाने या फिर शिकायतकर्ता द्वारा गलत नीयत से दर्ज की गई शिकायतों का पता चलने पर ऐसे ज्यादातर मामलों में सजा पलट दी है। ऐसे लगभग 100 दोषी व्यक्ति ईसाई हैं। उनमें से कम से कम एक दर्जन पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में दोषी पाए गए।

क्या इन पर ईमानदारी से अमल होता है?

निचली अदालतों के स्तर पर आमतौर से अहमदिया या ईश निंदा कानून से जुड़े मामलों पर न्यायपालिका के ऊपर इन मामलों में सजा देने का दबाव बना रहता है। लेकिन बड़ी अदालतों में अधिकतर अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया की पेचिदगियों और पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में बच कर निकल जाते हैं।

इसका एक कारण यह भी है कि निचली अदालतों के जजों पर धार्मिक समूहों के लोग आसानी से फैसला देने के लिए प्रभावित कर देते हैं। पर बड़ी अदालतों के जजों पर उनका यह दबाव चल नहीं पाता। यह अलग बात है कि इनको प्रभावित करने की कोशिश भी कम नहीं की जाती। आजकल तो बड़ी अदालतों के जजों को प्रभावित करने की कोशिशें कुछ ज्यादा तेज हो गई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वहां के मानवाधिकार संगठनों का यह कहना है कि ज्यादातर मामलों में यह सब स्थानीय स्तर पर आपसी रंजिश के कारण किया जाता है। निचली अदालतों में तो फर्जी शिकायतकर्ता अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं पर उच्च अदालतों के मुकदमों की सुनवाई के दौरान असलियत का पर्दाफाश हो जाता है।

कानून के जानकार कहते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने के मामलों में तो सजा देने का प्रावधान आसान हो जाता है क्योंकि ऐसे मामलों में अपराध करने और अपराध करने की नीयत के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए गैर इरादतन किया गया कोई एक अपराध भी इरादतन किए गए अपराध की श्रेणी में आ जाता है।

क्या ज्यादातर पाकिस्तानी इन कानूनों का समर्थन करते हैं?

पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ईश निंदा कानून के तहत सजा देने के प्रावधान को सही मानते हैं पर धार्मिक अभिलेखों की बहुत कम समझ होने या समझ न होने के कारण यह जान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मौजूदा समय के ऐसे कानूनों का विरोध कैसे किया जाए?हाल की घटनाओं को लेकर जो बात सामने आई है उससे यही लगता है कि बड़े पैमाने पर वहां के लोग 1980 में तत्कालीन फौजी शासक जिया उल हक के जमाने में लागू किए गए कानूनों पर भरोसा करते हैं। इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि ये कानून इंसान ने नहीं बनाए बल्कि सीधे कुरान के निर्देशों के आधार पर बने हैं।

वहां के धार्मिक संगठन व्यवस्थित तरीके से इस विश्वास का प्रचार करने में लगे हैं और बड़ी तादाद में लोगों को अपने समर्थन में जुटाने में सफल भी हुए हैं। धार्मिक संगठनों को अपने इस अभियान में तब भारी सफलता हासिल हुई थीं जब 2011 में राज्यपाल सलमान तसीर के हत्यारों को वहां के लोगों ने बड़े पैमाने पर हीरो घोषित कर दिया था। ईश निंदा कानून के ज्यादातर मामलों में हिन्दू और ईसाई गलत तरीकों से फंसाए जाते हैं।

पाकिस्तान प्रशासन इन कानूनों में बदलाव को लेकर अड़ियल रूख क्यों अपनाना चाहता है?

ईश निंदा कानूनों में संशोधन का मुद्दा वहां के कमोबेश सभी धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहा है लेकिन किसी ने भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी राजनीतिक दल वहां के उग्र धार्मिक संगठनों या इस्लामिक सोच की पार्टियों को नाराज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कई बार इन संगठनों ने बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों पर प्रदर्शन कर अपने इरादों का खुलासा भी कर दिया है।

2010 में पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक सांसद शेरी रहमान ने ईश निंदा कानून में संशोधन को लेकर एक प्राइवेट बिल (निजी विधेयक) संसद में पेश किया था। अपने विधेयक के माध्यम से वह ईश निंदा कानून में यह संशोधन करवाना चाहती थी कि धार्मिक मामलों में दर्ज की जानेवाली शिकायतें पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के बजाए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से की जाएं। यही नहीं इस निजी विधेयक में यह प्रावधान भी प्रस्तावित था कि ऐसे मामलों की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में हों निचली अदालतों में नहीं।

यह विधेयक समीक्षा के लिए संसदीय समिति को भेज दिया गया और फरवरी 2011 में इस विधेयक को धार्मिक ताकतों और कुछ विपक्षी दलों के दबाव में वापस लेना पड़ा। पाकिस्तान में बढ़ते धार्मिक संरक्षणवाद के चलते सरकार इस मामले में जन समर्थन के नुकसान का खतरा नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि चाहते हुए भी वहां के धर्मनिरपेक्ष दल धार्मिक मामलों में किसी किस्म का बदलाव या संशोधन नहीं कर पाते।

परिशिष्ट – III

पाकिस्तान दंड संहिता (1860 का कानून XLV)

6 अक्टूबर 1860

प्रोटेक्शन ऑफ वूमन (क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट) एक्ट 2006, क्रिमिनल लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट 2004 (2005), क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस (**LXXXV 2002**), क्रिमिनल लॉस (रिफॉर्मस) ऑर्डिनेंश **(LXXXVI 2002),** से संशोधित
पाकिस्तान की दंड संहिता का जहां तक सवाल है उसको निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाता है।

अध्याय –XV

धर्म से संबंधित अपराध

295. किसी भी वर्ग के धार्मिक उपासना स्थल के अपमान के संबंध में

जो कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाता है या किसी धर्म द्वारा स्थापित किए गए किसी चिन्ह अथवा व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस तरह उस धर्म का अपमान होता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दंड का भागी है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी अवधि तक बंदी बनाने और उसका समय दो साल तक बढ़ाने या दंडित करने या दोनों ही तरह की सजा देने का प्रावधान है।

295ए. किसी भी धार्मिक विश्वास या धार्मिक उद्देश्य को जान बूझकर अपमानित करने के संबंध में

ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड संहिता के तहत एक निश्चित अवधि तक जेल में बंद करने का प्रावधान है। इसकी अवधि दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या फिर उसे जुर्माना किया जा सकता है। ऐसे अपराध में जेल की कैद और आर्थिक जुर्माना दोनों की सजा भी हो सकती है।

295बी. पवित्र कुरान का अनादर करने या नष्ट करने के संबंध में

जो भी व्यक्ति पवित्र कुरान के किसी हिस्से या पूरी पुस्तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या नुकसान पहुंचाए उसे कानून की निगाहों में अपराधी समझा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो सकती है।

295सी. पैगम्बर मोहम्मद के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने के संबंध में

जो भी व्यक्ति लिखित या मौखिक रूप से या किसी भी दृश्यांकन या किसी और तरीके से पैगम्बर के नाम का दुरूपयोग करे या नाम को लेकर अपमान करे उसे उम्र कैद की सजा के साथ ही मृत्युदंड भी दिया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति आर्थिक जुर्माने का भी जिम्मेदार हो सकता है।

296. धार्मिक समागम में बाधा पहुंचाना

धार्मिक समागमों, समारोहों या किसी धर्म की उपासना के समय बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई जा सकती है, सजा एक साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है या फाईन भी किया जा सकता है या ऐसे व्यक्ति को जेल की सजा के साथ ही आर्थिक दंड चुकाना देना पड़ सकता है।

297. कब्रगाहों में अनाधिकार प्रवेश के संबंध में

जो कोई भी व्यक्ति इरादतन किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करे या उसके व्यवहार से धार्मिक भावनाओं के अपमान और निरादर की बू आए चाहे यह कृत्य उपासना स्थल का मजाक उड़ाने या फिर कब्रगाह में अनाधिकृत प्रवेश करने का ही मामला क्यों न हो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी है। इसके लिए एक निश्चित अवधि तक जेल की सजा का प्रावधान है। यह सजा एक साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है और इसके अलावा फाईन भी देना पड़ सकता है।

298. धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के संबंध में

जो कोई भी इरादतन किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की गरज से अपशब्दों का इस्तेमाल करे या ऐसी आवाज पैदा करे जिससे दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे तो ऐसा व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा का अधिकारी होगा। जेल की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है या आर्थिक दंड भी देना पड़ सकता है।

298 ए. विशिष्ट धार्मिक व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के संबंध में

कोई भी व्यक्ति जो मौखिक या लिखित रूप से या किसी दृश्यांकन के जरिए सीधे–सीधे या घुमा–फिराकर कहने के अंदाज में किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करे या पैगम्बरों के नामों का दुरुपयोग करे उसे निश्चित अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है जिसे एक साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है या फिर फाईन भी अदा करना पड़ सकता है।

298 बी. पवित्र और विशिष्ट धार्मिक व्यक्तियों या स्थानों के लिए निश्चित शब्दों, शीर्षकों और विवरणों का दुरुपयोग करने के संबंध में

इस नियम के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में आरोप तय किए गए हैं (1) कादियानी समूह या लाहौरी समूह का कोई व्यक्ति (जो अपने को अहमदिया या किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं। वह मौखिक या लिखित रूप में या किसी दृश्यांकन के जरिए निम्नलिखित अपराध करते हैं)

(ए) ऐसा व्यक्ति पैगम्बर मोहम्मद के नाम या उनके नाम के रूप में प्रचलित दूसरे नामों का अपने लिए इस्तेमाल करे।

(बी) पैगम्बर की पत्नी के नाम का इस्तेमाल करे

(सी) पैगम्बर या उनके परिवार के किसी सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उनके नाम से पुकारे या

(डी) अपने समुदाय के किसी व्यक्ति के उपासना स्थल को मस्जिद नाम से पुकारे

(2) कादियानी या लाहौरी समूह का कोई भी व्यक्ति (जो अपने आप को अहमदी या किसी और दूसरे नाम से पुकारते हैं) लिखित या मौखिक रूप से या दृश्यांकन के जरिए इस्लामी प्रार्थना के लिए उपयोग किए जाने वाले अज़ान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। इन सभी श्रेणियों के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को निश्चित अवधि तक कारावास की सजा हो सकती है। सजा की यह अवधि तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा भी देना पड़ सकता है।

298 सी. कादियानी समूह का कोई व्यक्ति अपने आप को मुस्लिम कह कर पुकारे या मुस्लिम के रूप में धार्मिक प्रचार या प्रसार करे। अहमदी कहलाने वाले कादियानी या लाहौरी समूह के किसी व्यक्ति को मुस्लिम कहलाने का अधिकार नहीं है। इस समुदाय का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है या मुस्लिम बनकर इस्लाम का उपदेश देने की कोशिश करता है या इस्लाम का प्रचार करता है तो वह पाकिस्तान की दंड संहिता के आधार पर सजा का भागीदार है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित अवधि के कारावास का दंड सुनाया जा सकता है। इसकी अवधि तीन साल के लिए बढ़ाई भी जा सकती है और ऐसा व्यक्ति आर्थिक सजा पाने का भी अधिकारी हो सकता है।

प्रतिष्ठान के प्रकाशन

1.	Terrorism and Indian Media	80.00
2.	आतंकवाद और भारतीय मीडिया	80.00
3.	Deceptive Equality (Deconstructing the Equal Opportunity Commission)	50.00
4.	भ्रामक समानता (समान अवसर आयोग की समीक्षा)	50.00
5.	Census 2011: Blinkered Vision, Fragmented Ideas	50.00
6.	जनगणना 2011: बाधित दृष्टि विखंडित विचार	50.00
7.	न्यू मीडियाः चुनौतियाँ और संभावनाएँ	50.00
8.	The Issue of Enemy Property and India's National Interest	50.00
9.	राष्ट्रीयता का यक्ष प्रश्न? (शत्रु संपत्ति पर सांप्रदायिक राजनीति)	35.00
10.	अजीज बर्नी की पुस्तक "आरएसएस की साजिश–26/11 (सच या झूठ का पुलिंदा?)	50.00
11.	षड़यंत्र सिद्धांत के खलनायक बेनकाब	50.00
12.	चीनी विस्तारवाद (भारतीय सीमा का अतिक्रमण)	50.00
13.	लोकतंत्र पर प्रहार (नागरिक अधिकारों का हनन)	50.00
14.	सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक (लोकतंत्र, संघवाद, पंथनिरपेक्षता पर प्रहार)	30.00
15.	Hole in the Bucket (Examining Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	30.00
16.	NAC's Hindu Apartheid Law (Prevention of Communal & Targeted Violence Bill-2011)	25.00
17.	The Dragon Tale (Dubious Design, Dangerous Liaison)	60.00
18.	राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाम राष्ट्रीय एकता परिषद (सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक पर टकराव)	20.00
19.	Cross Purposes	80.00
20.	भ्रामक उद्देश्य	80.00
21.	समकालीन समाज में बुद्धिजीवी	30.00
22.	Intellectuals in Contemporary Society	30.00
23.	Assam: Bending Over Backwards (Trespassing Causes Demographic Damage)	30.00
24.	Judiciary Gender & Uniform Civil Code	50.00

KILL ME, I AM SHIA
ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD
THE TRUE SOLUTION
FREEDOM
ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD

भगवान शिव का **कटासराज मंदिर** जो जर्जर हालत में है, गांव कटास, जिला चकवाल, पंजाब (पाकिस्तान) में स्थित है।

INDIA POLICY FOUNDATION

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

मूल्य : 80 रुपये मात्र

डी–51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018
फैक्सः 011–46089365
ईमेलः indiapolicy@gmail.com
वेबसाइटः www.indiapolicyfoundation.org

9 788192 522319